BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVI | 30th December 2015 | No. 19

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

माननीय उद्योग मंत्री का चैम्बर में अभिनन्दन

• आकर्षक होगी नयी औद्योगिक नीति • •सिंगल विंडो को बनायेंगे बेहतर • •औद्योगिक विकास पर रहेगा जोर– उद्योग मंत्री

सदस्यों को संबोधित करते श्री जय कुमार सिंह, माननीय उद्योग मंत्री। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः श्री ओ० पी० साह, अध्यक्ष, श्री मधुकर नाथ बरेरिया, उपाध्यक्ष, श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, उपाध्यक्ष एवं श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष एवं उद्योग उप समिति के संयोजक। बाँयीं ओर श्री त्रिपुरारि सिंह, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, श्री शशि मोहन, महामंत्री एवं डॉ० रमेश गाँधी, कोषाध्यक्ष।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 को माननीय उद्योग, विज्ञान एवं प्रोवैधिकी मंत्री श्री जय कुमार सिंह के अभिनन्दन हेतु अभिनन्दन समारोह आयोजित हुआ। समारोह में प्रधान सचिव उद्योग श्री त्रिपुरारि शरण भी उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने स्वागत संबोधन में कहा कि मैं माननीय मंत्री जी का अपनी ओर से एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का अनुगृहित हूँ जिन्होंने चैम्बर को अभिनन्दन समारोह आयोजित करने का अवसर प्रदान किया और आज हमलोगों के बीच पधारे हैं। आज के समारोह में पधारे उद्योग विभाग के प्रधान सचिव महोदय का भी मैं स्वागत करता हूँ, जिन्होंने हमारे अनुरोध पर यहाँ आकर हमारा उत्साहवर्द्धन किया है।

हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज जो राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय में कार्यरत लोगों की शीर्ष संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के व्यवसाय एवं उद्योग की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखकर उसके निदान के लिए प्रयास करना तथा सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने में अपनी सलाह देना एवं उनसे राज्य में उद्योग व्यवसाय को अवगत कराना है। चैम्बर एवं उद्योग विभाग के बीच बेहतर संबंध हैं। चैम्बर राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास हेतु उद्योग विभाग के सभी रचनात्मक कार्यों में बराबर सक्रिय सहयोग देता रहा है तथा भविष्य में भी रचनात्मक सहयोग देता रहेगा।

महोदय, यह जानकर अत्यन्त प्रसन्ता हुई कि आपके पदभार ग्रहण करने के उपरान्त Single Window System को कारगर बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक बुधवार को उद्योग मित्र के तत्वाधान में विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी, उद्यमियों के सहायतार्थ उपस्थित रहेंगे, यह सरकार का स्वागत योग्य कदम है।

माननीय मंत्री जी वैसे तो आज का यह समारोह मुख्यतः आपके अभिनन्दन के लिए आयोजित की गई है परन्तु अवसर का फायदा उठाते हुए हम कुछ बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे–

• बिहार देश में घनी आबादी वाला राज्य है परन्तु गैर-उपजाउ भूमि की काफी कमी होने के कारण राज्य में निवेशकों के सामने सबसे बड़ी समस्या जमीन की है जिसके लिए सरकार को विशेष प्रयास करके बाजार दर पर क्रय करने के लिए BIADA को आदेश दिया जा सकता है, जिससे नए औद्योगिक प्रांगण का सृजन हो सके।

• राज्य में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि उद्यमियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए।

• औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011, 30 जून, 2016 को समाप्त होने वाली है। अतः अनुरोध है कि जब तक नई नीति की घोषणा नहीं होती है, तब तक इसी नीति को विस्तारित कर दिया जाए जिससे कि वैसे उद्यमी जो कि इस नीति के तहत अपने उद्योग लगाना चाहते हैं और जिनका वाणिज्यिक उत्पादन 30 जून, 2016 के बाद शुरू होगा उन्हें यह विकल्प रहे कि वह वर्तमान नीति या नई नीति दोनों में, जो उन्हें पसंद आये, उसे अपना सकते हैं।

• राज्य में खाद्य प्रसंस्करण की असीम संभावनाएं हैं, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण नीति की अहम भूमिका है। वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण नीति 2011 की समय सीमा समाप्त हो रही है। अतः निवेदन है कि जब-तक नई खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा नहीं हो जाती है तब-तक वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण नीति का ही विस्तारीकरण कर दिया जाए।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष एवं उद्योग उप-समिति के संयोजक श्री पी० के० अग्रवाल ने विगत एक सप्ताह के दौरान माननीय उद्योग मंत्री के स्थानीय मीडिया में आये इन्टरव्यू की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि वह बड़ा ही

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

यह हर्ष की बात है कि नीति आयोग द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष 2014–15 में बिहार का विकास दर देश के सभी राज्यों से अधिक 17.6 प्रतिशत रहा।

उपर्युक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि बिहार विकास के मार्ग पर तीव्र गति से अग्रसर है और यह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता, कुशलता एवं सदप्रयास का प्रतिफल है।

आप सबों को नव वर्ष के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। नव वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए सुख–समृद्धि लेकर आये और आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हों, इन्हीं मंगलकामनाओं सहित।

आपका
ओ० पी० साह
अध्यक्ष

प्रभावकारी साक्षात्कार था, उसमें दो तीन मुख्य बातें हैं। माननीय मंत्री महोदय उसमें आपने कहा है कि सारी सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध है। लोगों को उसके बारे में बताना और उन्हें विश्वास में लेना आवश्यक है। हमारी मान्यता है कि लोगों को यदि विश्वास दिलाया जाए तो बहुत बड़े निवेशक जिन्हें यहाँ आने की उत्सुकता है, उस विश्वास के आधार पर वे आना चाहेंगे।

महोदय, आपके साक्षात्कार में आपने बियाडा के बारे में एक बात कही है कि जो लोग जमीन को ट्रांसफर करते हैं, उन्हें ट्रांसफर से रोका जाए, बियाडा को ही वह जमीन वापस किया जाए। महोदय, यह एक अच्छी सोच है, परन्तु जिन लोगों ने 30–40 साल पहले जमीन लिया था और आज बियाडा ने अपने आबंटन के मूल्य को बहुत अधिक बढ़ा दिया है, मार्केट के हिसाब से लाया है तो इसके लिए एक Policy बननी चाहिए कि वस्तुत: किस प्राइस पर वापस लेंगे। क्योंकि अभी ट्रांसफर का प्रावधान है कि 15% मार्केट प्राइस पर देकर वो ट्रांसफर करा सकते हैं। लोगों में इस बात को लेकर कुछ शंका है जो आपके साक्षात्कार से आयी है। इसके लिए अनुरोध है कि इस शंका के समाधान हेतु एक पॉलीसी अवश्य बनायें।

महोदय, एक बात जो आज तक किसी ने नहीं कही, वो यह कि एक प्रोजेक्ट के लिए आप लाइजनिंग ऑफिसर नियुक्त करेंगे। बहुत अच्छा सुझाव है। एस०बी०आई० से जो बड़े प्रोजेक्ट लोन लेते है उसमें प्रत्येक लोन लेने वाले के मॉनीटरिंग के लिए, सहायता के लिए एक पदाधिकारी नियुक्त करते हैं, लोन लेने वाले किसी बात के लिए उसी पदाधिकारी से बात करते है। आपका लाइजनिंग ऑफिसर बहाल करने का सुझाव बड़ा ही अच्छा है जो सरकार एवं इकाई के बीच में लाइजनिंग का काम करेंगे। वास्तव में ऐसा होता है तो बहुत सी दिक्कतों का समाधान हो जायेगा। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं।

जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज जमीन का अधिग्रहण काफी कठिन हो गया है, प्राइस भी बहुत अधिक है। ऐसी जमीन जो खरीदी जा सकती हो, खासकर डेडिकेटेड फ्रेट लाइन जो बनने वाला है या अमृतसर–कोलकता–हल्दीया जो लाईन जाने वाला है, उसके समकक्ष जमीन लेकर बनाया जाये तो अच्छी बात होगी।

फूड प्रोसेसिंग में काफी सालों से फंड की कमी है और वैट का जो Reimbursement है वो भी अत्यधिक लंबित हो गया है। इस संबंध में सिर्फ आपका ध्यान दिलाना था।

बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री रामलाल खेतान ने इस अवसर पर कहा कि बिहार की जो औद्योगिक नीति है उसके लिए कहा जाता है कि पूरे हिन्दुस्तान में यह सबसे अच्छी नीति है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए निवेदन है कि इसमें जो भी त्रुटियाँ है, उसे पूरी तरह से सुधार कर दिया जाये, तो यह पॉलीसी और ज्यादा प्रभावकारी हो सकती है।

यहाँ जो भी माहौल बना और लाखों की संख्या में एसआईपीबी में निवेश की बात कही गयी है, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर सका। उसमें हमें यह देखना होगा कि वो धरातल पर क्यों नही उतर रहे हैं। अगर औद्योगिक नीति का अक्षरश: पालन हो जाये तो हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में उद्योगों का जाल बिछेगा। बिना उद्योग के बिहार का विकास संभव नहीं है। उद्योगों के स्थापित होने से यहाँ बेरोजगारी की समस्या दूर होगी।

पटना सिटी व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में ऐसे भी उद्योगों की कमी है, खासकर कृषि आधारित उद्योग में। हर अनुमंडल में एक इण्डस्ट्रीयल जोन बनाया जाये। खासकर पटना सिटी अनुमंडल में एक इण्डस्ट्रीयल जोन बनाया जाये। पटना सिटी के व्यवसायियों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाये कि यहाँ जो छोटे–छोटे उद्योग हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाये और लाइजेनिंग ऑफिसर की भी व्यवस्था हो।

प्रधान सचिव उद्योग, श्री त्रिपुरारि शरण ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार चैम्बर एवं बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन की जो सक्रियता रहती है, इकाईयों की बात पहुँचाने में, वो सक्रियता तारीफ के काबिल है।

मैं जब इसके पहले चैम्बर आया था तो उस वक्त मैंने कहा था कि कोई भी रचनात्मक प्रयास तभी सफल हो सकता है जब कि उस प्रयास में लगे सभी ईकाई एक दूसरे से निरंतर तौर पर विमर्श की प्रक्रिया को बनाये रखें। मुझे इस बात का हर्ष है कि कोई भी फॉरमल फोरम खोलने से कुछ भी नहीं होता, आपके पास यह सुविधा होनी चाहिए कि जब भी आप चाहें आप अपनी बात रख सकें। मैंने पिछले आठ–दस महीनें में यही प्रयास किया। आपको जब भी किसी विमर्श की आवश्यकता हुई है, मेरा दरवाजा खुला रहा है और हमलोगों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। जिसके फलस्वरूप आज हमलोग उस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ वास्तव में ये बात हो रही है कि इतने उद्योग खुल गये, उनको इतना Incentive दिया जाना चाहिए, Incentive के बजट में कमी हो रही है। हर चीज के लिए सकारात्मक रुख आवश्यक है।

जब हम नयी उद्योग नीति लायेंगे तो उसके पहले हम उस पर विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे। उसमें भी आपकी भागीदारी और सकारात्मक रूख अपेक्षित है।

माननीय उद्योग मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज का कार्यक्रम जिस उद्देश्य से भी रखा गया हो पर मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेरी इच्छा थी कि आपसे बातें करूँ। मुझे जिस काम का निर्वहन करना है, वह आपसे जान कर ही कर पाउँगा। उद्देश्य स्पष्ट है:– बिहार को दो कदम और आगे ले जाना है। पिछले दस वर्षो में बिहार में औद्योगिक माहौल बना है और उद्योग–धंधे लगाने के जिन जिन विभागों को सशक्त होना चाहिए, आज वो सशक्त होते नजर आ रहे हैं।

बिजली के क्षेत्र में कहा जाता था कि उद्योग कैसे लगेंगे, बिजली का उत्पादन आने वाले दिनों में और होगा। बिहार बिजली उत्पादन में भी अपनी पहचान बनाएगा। बिजली यहाँ तक लाने के लिए जो सिस्टम चाहिए, उस सिस्टम से आज बिहार आच्छादित है।

बिहार के उद्योग विभाग को एक बड़ी भूमिका निभानी है। औद्योगिक नीति जो हम बनायेंगे उसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन एवं अन्य चैम्बरों से विस्तृत चर्चा करके बनायेंगे ताकि निवेशक आकर्षित हों, ऐसी उद्योग नीति बनायेंगे जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके। लघु एवं कुटीर उद्योगों की कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। बड़े उद्योगों के लिए राजस्थान एवं अन्य राज्यों में उद्योग लगाने में दी जाने वाली सुविधाओं का अध्ययन करेंगे।

माननीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि योग्य भूमि ज्यादा रहने के कारण औद्योगिक जोन बनाने में बाधा आती है। इसी में उद्योग के लिए जमीन की तलाश करनी होगी। उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की संभावनाएँ ज्यादा हैं। राईस मील आधारित जोन, मक्का आधारित जोन, गन्ना आधारित जोन, फल–सब्जी आधारित जोन को चिह्नित करने की आवश्यकता है ताकि उन्हीं जोन में संबंधित खाद्य प्रसंस्करण ईकाई लग सके। इसके लिए

बिहार में काफी संभावनाएँ हैं। इसी क्रम में मैंने एक लाइजनिंग अधिकारी रखने की बात कही थी जो आपके प्रत्येक कठिनाईयों का समाधान करे।

हमारा उद्देश्य है कि बिहार में उद्योग स्थापित हों, पलायन रुके, एक समय सीमा में आपकी समस्या दूर हो। इसके लिए हम सिंगल विण्डो को सशक्त बनाने जा रहे हैं। इस उपलब्धि हेतु आपके सहयोग की आवश्यकता है।

बियाडा की जमीन जिन उद्देश्यों के लिए आवंटित की गयी थी उसका प्रयोग उसी मकसद से होना चाहिए। यदि तीन साल से ऐसी जमीन का उपयोग नहीं हो रहा है तो उद्यमियों को उसे बियाडा को वापस करना होगा। हम यह जाँच करायेंगे कि बियाडा की जमीन जिस प्रोजेक्ट के लिए मिलना है वह प्रोजेक्ट लगा या खाली पड़ा है। बहुमूल्य जमीन को लेकर लोग खाली छोड़ देते हैं। इससे राज्य सरकार का उद्योग लगाने का सपना साकार नहीं हो सकता है। उन्होंने उद्यमियों से कहा आप आपनी समस्या के लिए कभी भी हमसे मिल सकते हैं।

इस अवसर पर माननीय उद्योग मंत्री जी को चैम्बर अध्यक्ष ने शॉल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

अभिनन्दन कार्यक्रम में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री मोतीलाल खेतान, उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया एवं श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी, महामंत्री श्री शशि मोहन, चैम्बर के सदस्य सहित प्रेस बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे। महामंत्री श्री शशि मोहन के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

बिहार विधान सभा के अध्यक्ष का चैम्बर में अभिनन्दन

सुपर पावर है उद्योग और व्यापार जगत– स्पीकर, बिहार विधान सभा

समारोह को संबोधित करते श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय स्पीकर, बिहार विधान सभा। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः श्री ओ० पी० साह, अध्यक्ष, श्री मधुकर नाथ बरेरिया, उपाध्यक्ष, एवं श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, उपाध्यक्ष। बाँयीं ओर श्री शशि मोहन, महामंत्री, डॉ० रमेश गाँधी, कोषाध्यक्ष, श्री मुकेश जैन, संयोजक, कौशल विकास उप समिति।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय अध्यक्ष बिहार विधान सभा का अभिनन्दन समारोह आयोजित हुआ ।

अपने स्वागत सम्बोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ0 पी0 साह ने कहा कि सर्वप्रथम मैं बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष जी का अपनी ओर से एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ चैम्बर को अभिनन्दन समारोह के आयोजन का अवसर प्रदान करने के लिए हम सभी उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं ।

महोदय, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज जो राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय में कार्यरत लोगों की शीर्ष संस्था है और इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के व्यवसाय एवं उद्योग की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखकर उसके निदान के लिए प्रयास करना तथा सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने मे अपनी सलाह देना एवं उनसे राज्य में उद्योग व्यवसाय को अवगत कराना है। चैम्बर राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास हेतु राज्य सरकार के सभी रचनात्मक कार्यों में बराबर सक्रिय सहयोग देता रहा है तथा भविष्य में भी रचनात्मक सहयोग देता रहेगा ।

यहाँ हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि चैम्बर अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहण में भी हमेशा अग्रणी रहा है। चाहे बाढ़ का प्रकोप हो या अन्य प्राकृतिक विपदा। इसी कड़ी में चैम्बर ने पिछले 10 फरवरी, 2014 से आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के कौशल विकास हेतु सिलाई-कटाई, मेंहदी एवं कम्प्युटर का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है जो कि भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम भी है। अभी तक सिलाई-कटाई में 400, मेंहदी प्रशिक्षण में 120, कम्प्युटर प्रशिक्षण में 80 महिलाएँ प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। आज के आपके अभिनन्दन समारोह के अवसर पर भी 271 महिलाओं को प्रशिक्षण उपरान्त आपके कर-कमलों द्वारा प्रमाण-पत्र देने का अनुरोध है।

मित्रों, आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय अध्यक्ष जी का एक लम्बा राजनीति जीवन रहा है। 1982 में पहली बार विधायक निर्वाचित होने के बाद इन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में मंत्री के पदों पर रह कर अपने उत्कृष्ट कार्यों से राज्य में विकास को नया आयाम दिया है ।

माननीय महोदय, हमलोगों को काफी प्रसन्नता हुई है कि आपके लम्बे राजनीतिक जीवन का अनुभव एवं व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए ही सभी पार्टी के माननीय सदस्यों ने एकमत से आपको सोलहवीं बिहार विधान सभा के अध्यक्ष का पद भार सौंपा है।

महोदय मैं आपको उद्यमी और व्यवसायियों के विषय में बताना चाहता हूँ कि यह वर्ग सबसे निरीह और कमजोर समझा जाता है। उन्हें आपके विधान सभा अध्यक्ष बनने से काफी उम्मीद है कि सदन में उद्यमी एवं व्यवसायियों से संबंधित विषयों पर आपका संरक्षण प्राप्त होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने अनुभव से उच्च संसदीय परम्परा का अच्छे ढंग से निर्वहन में अवश्य सफल होंगे तथा जनहित में उठाए गए मामलों का समाधान होगा।

अभिनन्दन समारोह को सम्बोधित करते हुए माननीय विधान सभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि उद्यमियों और कारोबारियों को निरीह और कमजोर न समझें। देश एवं समाज की प्रगति में इनकी प्रांसगिकता बढ़ती जा रही है। जिस समाज में उद्योग-व्यापार करने वालों की इज्जत और समर्थन का माहौल नहीं बनेगा, वह समाज खुशहाल नहीं हो सकता। श्री चौधरी ने कहा कि चैम्बर सरकार और उद्योग-व्यापार जगत के बीच सेतु का काम करता है। सरकार की नीतियों के निर्माण में भी इनके सुझावों का महत्वपूर्ण योगदान है ।

उन्होंने कहा कि बिहार में आबादी के हिसाब से सबसे कम उद्योग हैं। मगर यहाँ भी अब अनुकूल परिस्थितियाँ बन रही हैं। अगर उद्योग और व्यापार अपना काम बन्द कर दें तो प्रगति रूक जायेगी। उन्होंने आगे कहा कि उद्योग और व्यापार जगत सुपर पावर है। किसी भी सरकार और राष्ट्र की प्रगति का मापदंड वहाँ के औद्योगिक विकास और उन्नत व्यावसायिक संगठन है। बिहार के विकास में बिहार के उद्यमियों के सहयोग की जरूरत है ।

माननीय श्री चौधरी ने व्यवसाय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि

प्रशिक्षित महिला को प्रमाण-पत्र प्रदान करते श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय स्पीकर बिहार विधान सभा। उनकी दाँयीं ओर श्री ओ० पी० साह, चैम्बर अध्यक्ष, बाँयीं ओर क्रमशः डॉ० रमेश गाँधी, कोषाध्यक्ष एवं श्री मुकेश जैन, संयोजक, कौशल विकास उप समिति।

इस्ट इंडिया कम्पनी यहाँ आयी व्यापार करने परन्तु वह हमारा कर्त्ता-धर्त्ता बन गयी। इससे यह स्पष्ट है कि व्यापार जगत की ताकत को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सतरहवीं शताब्दी से ही बिहार के व्यवसायी बंगाल प्रेसिडेंसी में भी आगे थे। हम जब बंगाल से अलग हुए उड़ीसा के साथ थे, तब भी रहनुमाई किया करते थे और आज भी बिहार के विकास की अगुवाई भी आपको ही करनी है ।

श्री चौधरी ने कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की स्थापना के नौ दशक हो चुके हैं। इन नौ दशकों में चैम्बर ने कई उपलब्धियाँ प्राप्त की। बाढ़-सूखा, भूकम्प आदि अवसरों पर चैम्बर सदैव आगे बढ़कर काम करता रहा है। यह खुशी की बात है कि चैम्बर अब राज्य में जनहित के कार्यों में भी रूचि ले रहा है। महिलाओं को निःशुल्क कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने को प्रेरित कर रहा है।

विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि बिहार विधान सभा की स्थापना 7 फरवरी, 1920 को हुई थी। आगामी वर्ष 7 फरवरी को बिहार विधान सभा एक कार्यक्रम आयोजित करेगा ।इस कार्यक्रम में विधान सभा के 243 सदस्य तो भाग लेंगे। इसमें बिहार चैम्बर के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जायेगा। इसके बाद माननीय अध्यक्ष बिहार विधान सभा के कर-कमलों से चैम्बर द्वारा महिलाओं के लिए स्थापित निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित 271 महिलाओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह द्वारा चैम्बर का प्रतीक चिन्ह एवं शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया गया।

अभिनन्दन समारोह में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया एवं श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी, महामंत्री श्री शशि मोहन, कौशल विकास उप समिति के संयोजक श्री मुकेश कुमार जैन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की समन्वयक श्रीमती गीता जैन सहित चैम्बर सदस्य एवं प्रेस एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे।

महामंत्री श्री शशि मोहन के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद् की 58वीं आम सभा को सम्बोधित किया

58वीं वार्षिक आम सभा का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन करते बिहार चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह (दाँये से तीसरे)। साथ में माननीय सांसद श्री अजय कुमार निषाद, श्री रामलाल खेतान, अध्यक्ष, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, श्री मोतीलाल छापडिया, अध्यक्ष, नार्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्री राम बंका, पूर्व अध्यक्ष, नार्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य।

उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद्, मुजफ्फरपुर की 58वीं आम सभा दिनांक 27 दिसम्बर, 2015 को परिषद् सभागार में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद श्री अजय कुमार निषाद एवं माननीय नगर विधायक श्री सुरेश कुमार शर्मा एवं बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री राम लाल खेतान

आम सभा को संबोधित करते श्री ओ० पी० साह, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज। मंच पर आसीन नार्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी एवं माननीय अतिथिगण।

विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे ।

उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद् के अध्यक्ष श्री मोती लाल छापड़िया ने अतिथियों का स्वागत् करते हुए कहा कि इन दिनों अपराध में वृद्धि व्यवसायियों के लिए चिंता का विषय हो गया है। इस पर अविलम्ब रोक लगनी चाहिए। चैम्बर शुरू से ही व्यवसाय, उद्योग सहित आमजनों की समस्याओं से प्रशासन एवं सरकार को अवगत कराते हुए इसके निराकरण में हर सम्भव सहयोग करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि पताही हवाई अड्डे की सेवा को शुरू कराने से व्यावसाय के साथ-साथ पूरे मुजफ्फरपुर का विकास होगा। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरपुर के सड़कों, नालों, जल जमाव, बिजली बिल एवं अतिक्रमण सहित कई समस्याओं पर प्रकाश डाला ।

श्री अजय कुमार निषाद माननीय सांसद ने कहा कि जिले से हवाई सेवा शुरू करने का काम केन्द्र सरकार लगभग पूरा कर चुकी है। उन्होंने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिलने का सुझाव दिया।

श्री ओ० पी० साह, अध्यक्ष बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने अपने सम्बोधन में कहा कि अपराध की रोकथाम हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित हैं तथा इस विषय में ठोस कार्य योजना भी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की औद्योगिक नीति देश में किसी भी राज्य से बेहतर उद्योग नीति है लेकिन इसका क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से नहीं हो पाया। जून 2016 में यह समाप्त होने जा रही है। इसे जारी रखा जाना चाहिए और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए।

पताही हवाई अड्डे की सेवा शुरू होने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा। इसके लिए उन्होंने हर सम्भव सहयोग का भरोसा दिलाया। श्री साह ने कहा कि वर्ष 2008 से 2015 तक 8000 करोड़ का निवेश हुआ है। महात्मा गाँधी सेतु पर जाम की समस्या दूर करना अत्यावश्यक है। राज्य सरकार इसको प्राथमिकता दे। महात्मा गाँधी सेतु के समानान्तर बनने वाले सेतु का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्री साह ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की तरफ से नार्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को हर सम्भव सहयोग का आश्वासन दिया।

आम सभा में निम्नांकित प्रस्ताव भी पारित किये गये :-

• व्यापारिक लेनदेन में नगद की सीमा बढ़ाई जाये • उद्योगों की गति तेज करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाये • उद्योगों के लिए भू-आबंटन एवं सब्सिडी रिलीज करने का प्रावधान हो, हेल्प डेस्क बनाया जाये • योजनाओं के वित्त-पोषण में सरकार लचीलापन लाये • इन्ट्री टैक्स की राशि पर छूट का प्रावधान आवश्यक हो • वैट प्रतिपूर्त्ति हेतु समय सीमा निर्धारित हो • सरकार उद्योग एवं व्यापार को अवसर देकर पलायन रोके • आधुनिक तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना हो • सड़कों पर डिवाइडर का निर्माण कर, शहर को जाम से मुक्ति दिलाया जाये।

मंच संचालन श्री राम अवतार नाथानी ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन महासचिव श्री अनूप ककरानियाँ ने किया।

औद्योगिक नीति बनाने में जुटी नीतीश सरकार

बिहार सरकार की मौजूदा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की अवधि अगले साल 30 जून को पूरी हो जाएगी। उद्योग विभाग ने उद्यमियों को इससे पहले एक नई और बेहतर नीति का मसौदा जनता के सामने पेश करने का भरोसा दिया है। राज्य के उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा, 'हम बिहार को और बेहतर बनाना चाहते हैं, ताकि राज्य देश के औद्योगिक मानचित्र पर भी मजबूती से अपनी पहचान बना सके। इसलिए हमने नई औद्योगिक नीति के बारे में काम शुरू कर दिया है। यह पहले की नीतियों से ज्यादा प्रगतिशील और सकारात्मक होगी। इस नई नीति में हम बड़े और छोटे उद्योगों का पूरा ध्यान रखेंगे। राज्य में आज की तारीख में कानून-व्यवस्था, बिजली और सड़कों के मामले में काफी सुधार हुआ है। राज्य में एक औद्योगिक माहौल बना है और हम चाहेंगे कि इसका फायदा राज्य के लोगों को मिले।' इसके अलावा, राज्य सरकार ने अपनी नई नीति में उद्योगों के लिए एक व्यापक खाका खींचने का भी वादा किया है।

उद्योग मंत्री ने नई नीति में हर प्रकार के उद्योगों की जरूरतों का खास ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने कहा, 'हमारी कोशिश अपनी इस इस नई नीति को सरल और प्रभावी बनाने की है, जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हो सके। इसमें हम लघु और छोटे उद्योगों का खास तौर पर ध्यान रखेंगे। उनकी सहूलियतों का खास ध्यान रखा जाएगा। साथ ही बड़े उद्योगों पर भी ध्यान देंगे। हर बड़े निवेश प्रस्तावों के लिए हम एक संपर्क अधिकारी की व्यवस्था करेंगे, ताकि उनकी जरूरतों का खास ध्यान रखा जा सके। इससे राज्य में सिंगल विंडो व्यवस्था को मजबूत बनाने में हमें मदद मिलेगी। हम बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिए अन्य राज्यों की नीतियों का भी अध्ययन करेंगे।'

राज्य सरकार के मुताबिक इस नई नीति में वह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए अब क्षेत्र आधारित काम करेगी। वहीं, राज्य सरकार अब निवेशक सम्मेलन कराने की भी योजना बना रही है। मंत्री के मुताबिक 2011 में बिहार में आखिरी बार निवेशकों का सम्मेलन हुआ था। उन्होंने कहा, 'हम इस बारे में विचार कर रहे हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। उनसे सहमति मिलने के बाद ही हम आगे काम करेंगे।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 16.12.2015)

विशेष दर्जा बिहार का वाजिब हक

राज्यपाल रामनाथ कोविन्द ने कहा है कि बिहार को विशेष दर्जा का हक दिया जाना जरूरी है। राज्य में तरक्की की रफ्तार को और तेज करने, उद्योगों का जाल बिछाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ ही देश की प्रगति में योगदान देने के लिए यह जरूरी है। विशेष दर्जा बिहार का बाजिव हक है, जो मिलना चाहिए।

राज्यपाल बिहार विधानमंडल में संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे। 20 मिनट के संबोधन में राज्यपाल ने हर क्षेत्र व वर्ग के लिए सरकार के कामों की सराहना की। कहा, आधुनिक व विकसित बिहार बनाना ही राज्य सरकार का संकल्प है, जिसमें सभी का सहयोग एवं योगदान अपेक्षित है। सरकार न्याय के साथ विकास का नजरिया रखती है, जिसके अनुरूप सभी लोगों, क्षेत्रों व वर्गों का विकास करना है। उन्होंने कहा कि सरकार कानून का राज स्थापित रखने तथा न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलने को संकल्पित है। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है। यही व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.12.2015)

विकास में आगे बढ़ रहा बिहार : मुख्यमंत्री

बिहार विकास के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की गति धीमी रहने की बात करने वाले गलत साबित हुए। ये बातें नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह बात आ गया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार की विकास दर सभी राज्यों से अधिक यानी 17.6 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट इस वर्ष जुलाई में ही आयी है। हाल में ब्रिक्स वर्क ने इस पर टिप्पणी की है। नीति आयोग की वेबसाइट पर सारे आंकडें उपलब्ध हैं। हमलोग तो लगातार यह कहते रहे हैं कि बिहार न्याय के साथ विकास के रास्ते पर लगातार बढ़ रहा है। वहीं जो हमारे विरोधी थे वह हम पर आरोप लगाते थे कि

बिहार में प्रगति की रफ्तार धीमी हो गई है। हमारी सरकार सोशल सेक्टर और बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में निरंतर कदम उठा रही है। यहाँ कानून का राज है। इन सब चीजों का मिला-जुला असर है कि यहाँ विकास की गति तीव्र है। प्रगति की रफ्तार बरकरार है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि वर्तमान मूल्य के आधार पर बिहार की विकास दर वित्तीय वर्ष 2014-15 में 17.6 प्रतिशत है। **(साभार : आई नेक्स्ट, 5.12.2015)**

हर हाल में शराबबंदी लागू होगी : सीएम

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने साफ-साफ कहा कि शराबबंदी की घोषणा को लेकर उनके मन में कोई कनफ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा कि हर हाल में एक अप्रैल से शराबबंदी लागू होगी। इसके लिए उन्होंने विभाग के अफसरों को कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। **(विस्तृत : आई नेक्स्ट, 5.12.2015)**

विकास के लिए 67 सौ करोड़ का बजट पेश

विधानसभा चुनाव के बाद से रुकी पड़ी विकास की गति को रफ्तार देने की कवायद शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने 6714.23 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया है। वित्तमंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा पेश किए गए बजट पर सदन में मंथन किया जाएगा।

सड़कों के लिए विशेष मांग : सरकार ने सबसे ज्यादा 1669.17 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं 570.83 करोड़ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए बताया है। ग्रामीण सड़कों के साथ-साथ सरकार कृषि विकास योजना पर भी काम को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है।

योजनाओं को भी प्रमुखता : जुलाई 2015 से नियोजित शिक्षकों को वेतन देने के लिए भी अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है। इसी तरह औद्योगिक प्रोत्साहन, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं ग्रामीण पेयजल को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। गैर योजना मद में राज्य सरकार ने 2270.20 करोड़ की जरूरत बताई है। इसमें वेतन, पेंशन, पारिश्रमिक, अनुदान एवं सब्सिडी के लिए पैसे की मांग की गई है। केन्द्रीय योजनाओं के लिए 9.34 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इसमें स्वदेश दर्शन स्कीम एवं वनबंधु कल्याण योजना शामिल है।

योजनाएं और पैसा (राशि करोड़ में)

योजना	मद	योजना	मद
पीएमजीएसवाई :	1669.17	ग्रामीण पेयजल :	150
एनएचआरएम :	570.83	पंचायत सरकार भवन :	124
ग्रामीण सड़कें :	249.46	स्वच्छ भारत मिशन:	112.72
कृषि विकास मिशन :	231.30	अल्पसंख्यक विकास:	111
औद्योगिक प्रोत्साहन :	205.18	शहरों में गृह निर्माण:	100.41
पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा		सीएम विद्यार्थी प्रोत्साहन :	90
वर्ग छात्रवृत्ति :	200	अक्षर आंचल योजना :	79.44
नियोजित शिक्षकों का वेतन :	183.48	शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर :	72.92

(साभार : आई नेक्स्ट, 5.12.2015)

नीति आयोग द्वारा बिहार के विकास दर में बढ़ोतरी पर चैम्बर ने जतायी प्रसन्नता

नीति आयोग की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट में बिहार का विकास दर देश के सभी राज्यों से अधिक (17.6 प्रतिशत) रहने पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रसन्नता जतायी है। चैम्बर अध्यक्ष ओ० पी० साह ने कहा कि यह सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व, दूरदर्शी निर्णय व राज्य के ढांचागत विकास के कारण ही संभव हो सका है। राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से विकास दर में छलांग लगाते हुए देश के अन्य राज्यों से आगे रहने में सफलता पायी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित नयी सरकार कुशल नेतृत्व व अनुभवी लोगों का सम्मिश्रण है और यह टीम राज्य के आर्थिक विकास व इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में केन्द्र सरकार के सहयोग से विकास पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। श्री साह ने मढ़ौरा व मधेपुरा में रेलवे की दो परियोजनाओं को चालू कराने के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी का भी धन्यवाद किया। **(साभार : प्रभात खबर, 5.12.2015)**

नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट जारी,
विकास दर में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और गोवा तीसरे नंबर पर

बिहार सबसे तेज विकास करने वाला राज्य

नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग की ओर से जारी हालिया रिपोर्ट में बिहार को देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बताया गया है।

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014-15 में बिहार की विकास दर सभी राज्यों से अधिक 17.6 प्रतिशत रही। दूसरे नंबर पर मध्यप्रदेश है। अन्य राज्यों का विकास दर तो बिहार के आसपास भी नहीं है। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान की विकास दर इस अवधि में क्रमशः 11.69,16.8 और 11 फीसदी रही। रिपोर्ट में देश का तेजी से विकास करने वाला राज्य बताते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 17.6 फीसदी बताया गया है। 2004-05 में बिहार की विकास दर 6.05 फीसदी थी।

विकास दर का ही असर है कि उस समय बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीएसडीपी) 77 हजार 781 करोड़ थी जो बढ़कर अब 04 लाख 02 हजार करोड़ पार कर गया है। जीएसडीपी में छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, झारखण्ड, ओडिशा और उत्तराखंड को बिहार ने पीछे छोड़ दिया है तो हरियाणा, एमपी व राजस्थान के करीब आ पहुँचा है।

मप्र और गोवा को पछाड़ा : तेजी से बढ़ने वाले राज्य में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश की विकास दर 16.86 फीसदी रही तो तीसरे स्थान पर गोवा है, जिसकी विकास दर 16.43 फीसदी है। वहीं बड़े राज्यों में जीएसडीपी में महाराष्ट्र सबसे शीर्ष पर है, लेकिन इसकी विकास इसकी विकास दर वर्ष 2014-15 में 11.69 फीसदी रही।। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु व उत्तरप्रदेश का स्थान है लेकिन विकास दर में यह दोनों राज्य महाराष्ट्र से पीछे हैं। हालिया गठित राज्य तेलांगना की विकास दर 5.3 फीसदी बताई गई है। बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु व केरल में पेंशन पर अधिक राशि खर्च की जाती है। बिहार, पंजाब, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल व आंध्रप्रदेश में जीएसडीपी में 23 से 29 फीसदी तक कृषि क्षेत्र का योगदान है।

बिहार की साल दर साल विकास दर

वर्ष	विकास दर	वर्ष	विकास दर
2005-06	6.05	2010-11	24.94
2006-07	22.12	2011-12	19.51
2007-08	12.85	2012-13	20.70
2008-09	25.16	2013-14	17.05
2009-10	14.51		

(साभार : हिन्दुस्तान, 4.12.2015)

उद्योगों की जमीन के हस्तांतरण पर लगेगी रोक

श्री जय कुमार सिंह माननीय उद्योग मंत्री से दैनिक जागजण की बातचीत के प्रमुख अंश:-

- **जितनी अपेक्षा थी उतने उद्योग क्यों नहीं लग पाए? प्रमुख समस्याएं क्या हैं?**

उद्योग लगाने के लिए जो भी सहूलियत चाहिए, वे यहाँ मौजूद हैं। पिछले दस सालों में प्रदेश में बेहतर आधारभूत संरचना का विकास हुआ है। बिजली उपलब्ध है। एनएच-एसएच ही नहीं, ग्रामीण पथों के जाल के कारण बहुत बेहतर कनेक्टिविटी है। उद्योग के लिए बहुत बेहतर वातावरण है। जरूरत निवेशकों को इनका एहसास करा उनमें विश्वास जगाने की है।

- **जमीन की उपलब्धता एक समस्या है?**

बिहार में कृषि-भूमि अधिक है। इसके अधिग्रहण में समस्या आती है। वैसे भी निवेशक बिहार औद्योगिक प्रक्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा उद्योग के लिए दी जाने वाली जमीन को अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद नहीं रहता। बियाडा द्वारा जमीन आवंटन करने की नीति में हम बदलाव कर इसे और सुलभ बनाएंगे। अगर कोई उद्यमी एक निश्चित समय-सीमा में आवंटित जमीन पर उद्योग की इकाई नहीं लगाएगा तो उसे जमीन सरेंडर करनी होगी। एक उद्यमी द्वारा दूसरे को जमीन हस्तांतरित

की जाती है। यह ठीक नहीं है। इस पर रोक लगेगी। उसे जमीन ट्रांसफर करने की जगह बियाडा को वापस सरेंडर करनी होगी। हम इस पर भी नजर रखेंगे कि जिस मकसद के लिए जमीन ली गई है, उस पर संबंधित काम हो रहा है या नहीं। नई नीति को सख्ती से लागू किया जाएगा। औद्योगिक जमीन से जुड़े विवादों के त्वरित निष्पादन के लिए हम मुख्यमंत्री के माध्यम से पटना हाईकोर्ट से विशेष अदालत गठन करने का आग्रह भी करेंगे। इसके लिए विभाग में भी अलग से सेल खोलने की जरूरत होगी तो उसे खोलेंगे।

- **निवेशकों को आकर्षित करने के कौन से विशेष प्रयास होंगे?**

यह पता लगाने की आवश्यकता है कि आखिर निवेशक कर्नाटक, महाराष्ट्र या अन्य राज्यों का क्यों रुख करते हैं। हम इन राज्यों में दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा कर उसके अनुरूप यहाँ भी सहूलियत देंगे।

- **सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ प्रभावी ढंग से क्यों काम नहीं कर रहा?**

इसे और सशक्त बनाएंगे। साथ ही निवेशकों की सुविधा के लिए लाइजनिंग आफिसर की नियुक्ति करेंगे जो उनके और सरकार के बीच समन्वय बनाए रखेगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि निवेशक कुछ मुद्दो पर मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव से बात करना चाहते हैं। लाइजनिंग आफिसर इस काम में उनकी मदद करेगा।

- **फूड प्रोसोसिंग इंडस्ट्री से कैसी उम्मीद है?**

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां बहुत बेहतर कर रही हैं। विशेषकर चावल मिलें। अभी 137 चावल मिलें कार्यरत हैं, जिनमें से कई ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इडेबुल ऑयल की इकाइयां भी बेहतर ढंग से चल रहीं हैं। रोहतास में अभी दो आधुनिक इकाई लगने वाली है जो धान की प्रोसेसिंग में निकलने वाले चावल के छोटे-छोटे कणों, जो अवशेष रह जाते हैं, से इडेबुल ऑयल बनाएगी।

- **आपको विज्ञान व तकनीक विभाग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस विभाग के कार्यों को कैसे गति देंगे?**

पटना में साइंस सिटी के लिए अतिरिक्त जमीन की व्यवक्था कर ली गई है। दो माह के अंदर काम शुरू हो जाएगा। यह पटना में बन रहे इंटरनेशनल म्यूजियम की तरह ही देखने लायक होगी। सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं पॉलीटेक्निक में शिक्षक बहाल किए जा रहे हैं। सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में वर्कशॉप और प्रोजेक्ट अनिवार्य रूप से चलेंगे। जल्द ही हम श्रम संसाधन एवं आइटी विभाग की तरह कौशल उन्नयन के भी कार्यक्रम चलाएंगे। विभिन्न ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था होगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 11.12.2015)**

बिहार सरकार

उद्योग मित्र

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

उद्यमियों के सहायतार्थ सूचना

राज्य में उद्योग स्थापना के क्रम में या कार्यरत इकाई के उद्यमी बंधु को यदि निम्नलिखित विभागों / उपक्रमों से संबंधित कोई समस्या है तो इसके निराकरण हेतु प्रत्येक बुधवार को इन विभागों / उपक्रमों के एक-एक वरीय पदाधिकारी Single Window System के तहत उद्योग मित्र कार्यालय, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना- 800001 (दूरभाष: 0612-2547695) के सभा-कक्ष में उद्यमियों के सहायतार्थ उपस्थित रहेंगे-

1. वाणिज्यकर विभाग, 2. श्रम संसाधन, 3. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, 4. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, 5. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रा. लि. 6. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रा. लि. 7. बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार।

उद्यमी बंधु से अनुरोध है कि अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन सभी आवश्यक कागजात के साथ प्रत्येक शुक्रवार को संध्या 5 बजे तक उद्योग मित्र कार्यालय में जमा करा सकते हैं एवं अगले बुधवार को पूर्वाहन 11.00 बजे उपस्थित होकर सिंगल विण्डो सिस्टम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

निवेदक

उद्योग निदेशक, बिहार, पटना

(साभार : हिन्दुस्तान, 17.12.2015)

जमीन की दर तय करेगी एडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी

जिलों में जमीन की सरकारी दर तय करने के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी का नेतृत्व एडीएम स्तर के अधिकारी करेंगे। मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है। निबंधन विभाग ने अगले साल पहली फरवरी से राज्य में नया एमवीआर निर्धारित करने का फैसला लिया है। इसमें एक बात साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन की सरकारी दर में किसी तरह का वृद्धि नहीं की जाएगी, जबकि शहरी व अर्द्धशहरी जमीन की सरकारी दर में परिवर्तन संभावित है। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिले में एडीएम के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन करने का निर्देश जारी किया है। यह कमेटी अपने-जिलों में शहरी व अर्द्धशहरी जमीन की सरकारी दर की समीक्षा करेगी। मंत्री अब्दुल मस्तान ने तो यहाँ तक कहा कि जिन जिलों के एमवीआर में वृद्धि की गई थी और कमेटी उससे कम एमवीआर का निर्धारण करती है तो जमीन की रजिस्ट्री में अधिक रकम का भुगतान करने वालों को रजिस्ट्री शुल्क की राशि वापस भी की जाएगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 19.12.2015)**

राज्य सरकार ने मुआवजा राशि की सीमा दस प्रतिशत बढ़ाई, आयुक्त की सीमा 30 करोड़ तक

डीएम 12 करोड़ तक की भूमि अधिग्रहित कर सकेंगे

अधिकारियों की सीमा होगी (रुपए में)	
• जिलाधिकारी	12.10 करोड़
• प्रमंडलीय आयुक्त	30.25 करोड़
• राज्य सरकार	30.25 करोड़ से अधिक

27 करोड़ की सीमा थी पहले अधिग्रहण के लिए

डीएम 12 करोड़ तक की भूमि का अधिग्रहण कर सकेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त की सीमा 30 करोड़ तक की भूमि अधिग्रहण के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि अधिग्रहित जमीन की कीमत इससे अधिक होगी तो भुगतान के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। इन अधिकारियों की सीमा अभी भले इससे दस प्रतिशत कम हो लेकिन 01 जनवरी 2016 से यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। राज्य सरकार भू अर्जन और पुनर्वास के लिए किसानों और भूमि मालिकों को प्रतिकर (मुआवजा) देने के लिए अधिकारियों की सीमा दस प्रतिशत बढ़ाने जा रही है। अभी जमीन का मुआवजा 27 करोड़ से अधिक होते ही डीएम को भुगतान या अधिग्रहण का पंचाट घोषित करने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती है। इससे किसानों की परेशानी तो बढ़ती ही है, जमीन अधिग्रहण में भी अनावश्यक विलंब होता है। अब यह सीमा लगभग 30 करोड़ रुपये बढ़ा दी गई है। इतनी राशि तक का भुगतान आयुक्त स्तर के अधिकारी ही कर देंगे। इससे अधिक कीमत होने पर ही सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। राज्य सरकार हर साल जमीन का सर्किल रेट रिवाइज करती है। हालांकि अब तो यह व्यवस्था की गई है कि सर्किल रेट में वृद्धि साल के बीच में भी किया जा सकेगा। ऐसे में हर साल जमीन की कीमत बढ़ जाती है। छोटी योजनाओं के लिए भी जमीन लेने पर मुआवजा राशि करोड़ों में हो जाती है। ऐसे में हर मामले को सरकार के स्तर पर भेजना पड़ता है। लिहाजा सरकार ने वर्तमान आर्थिक सीमा को दस प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। **(हिन्दुस्तान, 4.12.2015)**

स्मार्ट ग्रिड से मिलेगी निर्बाध बिजली

राज्यभर में 24 घंटे निर्बाध बिजली के साथ-साथ आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के मकसद से बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी अपने पुराने एवं जर्जर सभी ग्रिड पॉवर सब स्टेशनों को स्मार्ट बनाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि पुराने ग्रिड उपकेंद्रों से बिजली की बर्बादी होती है, जिससे 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लक्ष्य की प्राप्ति में दिक्कत होगी। इस पहल से बिजली कटौती को भी कम किया जा सकेगा। साथ ही स्मार्ट ग्रिड से बिजली चोरी और फॉल्ट के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी।

8000 करोड़ से होगा आपूर्ति व्यवस्था का कायाकल्प

क्या-क्या होना है : • अप्रैल 2017 तक 42 नए पावर सब स्टेशन का निर्माण • 1722 किमी नए 33 केवी लाइन का निर्माण किया जाएगा • 16190 किमी नए 11 केवी फीडर निर्माण पर काम शुरू होगा • 16682 नए ट्रांसफारमर लगाए जाएंगे • 1740 किमी 11 केवी तार एवं 9255 किमी एलटी तार बदला जाएगा। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 7.12.2015)**

अगले साल के लिए बिजली टैरिफ का प्रस्ताव कंपनी ने आयोग को सौंपा

सूबे में बिजली नौ फीसदी महंगी करने का प्रस्ताव

सूबे में बिजली नौ फीसदी महंगी करने का प्रस्ताव बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को देर शाम सौंपा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में लागू होने वाली बिजली दर के प्रस्ताव पर आयोग आम लोगों से राय लेन के बाद 120 दिनों के भीतर निर्णय लेगा।

बीते कई वर्षों से कंपनी की और से 15 नवंबर के पहले ही टैरिफ का प्रस्ताव आयोग को सौंपा जाता रहा है। इस बार सवा महीने देरी से सौंपे गए टैरिफ प्रस्ताव में समग्रता में कंपनी ने नौ फीसदी बिजली दर बढ़ाने का अनुरोध किया है। आयोग सूत्रों के अनुसार श्रेणीवार अलग-अलग बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव में बीपीएल परिवार के कनेक्शन कुटीर ज्योति को शमिल नहीं किया गया है। साथ ही खेती के काम वाले कनेक्शन में भी कोई शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव नहीं दिया गया है। शहरी व ग्रामीण घरेलू व औद्योगिक कनेक्शन में अलग-अलग वृद्धि का प्रस्ताव है।

कवायद
- कंपनी के प्रस्ताव पर विनियामक आयोग 120 दिनों में करेगा फैसला
- अंतिम फैसला के पहले आम लोगों से राय लेगा आयोग

मौजूदा घरेलू टैरिफ

शहरी क्षेत्र

यूनिट	मौजूदा दर
1-100	3 रुपए यूनिट
101-200	3.65,,
201-300	4.35,,
300 से अधिक	5.45,,

ग्रामीण क्षेत्र

यूनिट	मौजूदा दर
0-50	2.10 प्रति यूनिट
51-100	2.40,,
100 से ऊपर	2.80,,

बिना मीटर के 170 रु. प्रति महीना

कंपनी की मासिक वित्तीय स्थिति :
- 872 करोड़ औसत मासिक खर्च है
- 416 करोड़ बिजली बिक्री से आय
- 300 करोड़ सरकार अनुदान देती है
- 156 करोड़ अनुदान के बावजूद नुकसान।

पाँच साल में बढ़ी बिजली दर :
- 2011-12: 19% • 2012-13:12.10% • 2013-14 : 6.90% • 2014-15 : वृद्धि नहीं • 2015-16 : 2.42%

अन्य राज्यों में बिजली दर

राज्य	न्यूनतम	अधिकतम
बिहार	2.10	5.45
उत्तर प्रदेश	4.00	5.50
उत्तराखण्ड	2.30	3.50
झारखण्ड	2.40	3.00
पश्चिम बंगाल	4.12	7.95
नई दिल्ली	4.00	8.75

संचरण-वितरण-नुकसान : • 2012-13: 41% • 2013-14 : 42% • 2014-15 : 38% • 2015-16 : 35.06% **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 22.12.2015)**

बरौनी बिजली घर / यूनिट छह का निर्माण पूरा, यूनिट 7 उत्पादन के लिए तैयार

बरौनी बिजली घर तैयार है। यूनिट सात पूरी तरह तैयार हो गई है, इसका पहला परीक्षण सफल रहा। जबकि यूनिट छह का निर्माण भी लगभग खत्म है, लेकिन इसका अंतिम परीक्षण होना शेष है। यूनिट सात से अगले वर्ष फरवरी में बिहार को बिजली मिलने लगेगी। पिछले दिनों बिजलीघर की चिमनी से धुंआ निकलते ही निर्माण में जुटे अधिकारी इंजीनियर, कामगारों में खुशी की लहर दौड़ गई। 110-110 मेगावाट क्षमता की दोनों यूनिटों का जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण का काम एनटीपीसी की देखरेख में भेल द्वारा किया जा रहा है।

निर्माण में जुटी एजेंसी ने 31 दिसम्बर को ऑयल फायरिंग की योजना बनाई है। कोल फायरिंग के पहले तकनीकी कारणों से इसे तेल से चालू करके देखा जाएगा। कोई समस्या हुई तो उसे दूर किया जाएगा। जनवरी में कोल फायरिंग के बाद फरवरी तक यहाँ से उत्पादन शुरू हो जाएगा। केन्द्र के एश पांड के लिए 54 एकड़ जमीन देने के निर्णय के बाद उत्पादन से बड़ा पेच भी दूर हो गया है। बरौनी बिजलीघर की यूनिट 6 और 7 जर्जर होने के कारण पिछले कई वर्षों से बंद थी। इसके जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण का काम भेल को सौंपा गया है। इसके लिए योजना आयोग ने 581. 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। हालांकि भेल के काम की गति काफी सुस्त रही है। इसके कारण निर्माण की अवधि बार-बार बढ़ानी पड़ी। **(साभार : दैनिक भास्कर, 17.12.2015)**

बांका पावर प्लांट को कोल ब्लॉक आवंटन

बिहार के पहले अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट का होगा निर्माण

बांका जिले में 4000 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा पावर का रास्ता साफ हो गया है। केन्द्र ने इस प्रोजेक्ट के लिए पीरपैंती की सीमा पर झारखंड के बरहट कोल ब्लाक से कोयले की आपूर्ति पर सहमति दे दी है। एक महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यह देश का दूसरा और बिहार का पहला मेगा पॉवर प्रोजेक्ट होगा। इसकी आधी बिजली बिहार को मिलेगी, जो दूसरी कंपनियों की तुलना में सस्ती होगी। प्लांट लगने पर बिहार में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन भी होगा।

सूचना के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए दो कंपनियां बनानी थी। जिस पर अमल करते हुए बिहार मेगा पावर लिमिटेड (वीएमपीएल) और बिहार इन्फ्रा पॉवर लिमिटेड (बीआईपीएल) कंपनी पर बना दी गई है। एक के जिम्मे कोल ब्लाक का काम और दूसरे के जिम्म पावर प्लांट का काम रहेगा। बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव एवं बिहार बिजली बोर्ड के मुख्य महाप्रबधंक प्रत्यय अमृत के साथ केन्द्रीय अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें प्रारंभिक तौर पर कंपनियों को 20 करोड़ रुपये देने पर सहमति बनी है।

बांका में तत्काल एक ऑफिस के लिए वहाँ के डीएम को पत्र जारी कर दिया गया है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसी साल जनवरी में प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार (सीईए) से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी थी। सबसे बड़ी समस्या कोयला को लेकर आ रही थी। अब उसे भी सुलझा लिया गया है।

बिहार में पर्याप्त बिजली आपूर्ति के लिए 30 मई 2012 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्कालीन केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे को पत्र लिखकर बांका के कंकवाड़ा में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की जरूरत बताई थी। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय से 10 जून 2012 को प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में सहमति दी। 27 जुलाई 2012 को सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इनर्जी एवं पावर फाइनांस कॉरपोरेशन की टीम ने मौके का निरीक्षण किया। प्रोजेक्ट के लिए 2440 एकड़ जमीन एवं 1200 क्यूसेक पानी की जरूरत बताई गई थी। 5 फरवरी 2013 को बिजेन्द्र यादव ने तत्कालीन केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से प्रोजेक्ट के लिए सालाना 20 मीट्रिक टन कोयला के लिए कोल ब्लॉक आवंटित करने का आग्रह किया था। 15 नवम्बर 2014 को केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में बिहार को सहयोग करने की घोषणा की थी।

प्लांट के लिए जरूरत : • जमीन : 2440 एकड़ • पैसे : 28000 करोड़ • कोयला: 20 मीट्रिक टन सालाना • पानी : 1200 क्यूसेक।

बिहार को लाभ : • बिजली : दो हजार मेगावाट • निवेश : लगभग एक लाख करोड़ • रोजगार : तीन हजार।

वर्तमान स्थिति : बांका के ककवारा और कटोरिया ब्लाक में 2240 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली गई है। बिहार सरकार कृषि योग्य भूमि देने के पक्ष में नहीं थी। इसलिए पहाड़ के पास की बंजर जमीन चिह्नित की गई है। केन्द्र को इसकी सूचना दे दी गई है। **(साभार : दैनिक जागरण, 17.12.2015)**

बिजली बिल के अग्रिम भुगतान पर 2.5 प्रतिशत छूट

अगर आपका बिजली बिल हर माह लगभग एक हजार आता है और आप अगले महीने आने वाले लगभग इतने ही बिल की राशि अग्रिम के तौर पर जमा कर देते हैं तो आपको एक फीसद की जगह ढाई प्रतिशत छूट विद्युत कंपनी देगी। छूट कबसे मिलनी शुरू होगी, अभी यह तय नहीं है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 21.12.2015)

नॉर्थ बिहार में बिजली आपूर्ति में सुधार पर 1819 करोड़ होंगे खर्च

नार्थ बिहार के 21 जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार पर 1819 करोड़ खर्च होगा। इन जिले में स्पेशल प्लान के तहत काम होना है। बीआरजीएफ की राशि से इन जिले में पावर सब स्टेशन का निर्माण ट्रांसफॉर्मर बदलने का काम हो रहा है। इसके अलावा 33 केवी व 11केवी के नये लाइन लगाने के साथ जर्जर तार बदले जा रहे हैं। नार्थ बिहार के 21 जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए होनेवाले काम के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी है। नार्थ बिहार पावर वितरण कंपनी ने समय पर काम पूरा करने का निदेश दिया है।

जिलों को बीआरजीएफ की राशि (करोड़ में)

जिला	राशि	जिला	राशि
सीवान	16.37	मधुबनी	159.63
अररिया	10.38	मुजफ्फरपुर	72.83
किशनगंज	12.55	पश्चिम चंपारण	95.4
पूर्णिया	18.02	समस्तीपुर	119.77
बेगूसराय	119.97	सारण	110.77
दरभंगा	116.95	पूर्णी चंपारण	141.64
गोपालगंज	110.76	सहरसा	58.91
कटिहार	83.2	शिवहर	28.93
सीतामढ़ी	91.91	सुपौल	78.62
खगड़िया	91.06	बैशाली	166.87
मधेपुरा	64.46		

(साभार : प्रभात खबर, 18.12.2015)

साउथ बिहार में बिजली आपूर्ति में सुधार पर 966 करोड़ होंगे खर्च

साउथ बिहार के 16 जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार पर 966 करोड़ 54 लाख खर्च होगा। इन जिले में स्पेशल प्लान के तहत काम होना है। बीआररजीएफ की राशि से इन जिले में पावर सब स्टेशन का निर्माण, ट्रांसफॉर्मर बदलने का काम होगा। इसके अलावा 33 केवी व 11 केवी के नयी लाइन लगाने के साथ जर्जर तार बदले जायेंगे। स्पेशल प्लान के तहत गया, मुंगेर रोहतास में जिला नियंत्रण कक्ष सह मीटर जांच गृह निर्माण होगा। इस पर 9.67 करोड़ खर्च होगा। साउथ बिहार के 16 जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए होनेवाले काम के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी है।

बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए जारी राशि (करोड़ में)

जिला	राशि	जिला	राशि
अरवल	30.56	कैमूर	155.42
औरंगाबाद	148.76	रोहतास	12.42
गया	5.85	भोजपूर	13.46
जहानाबाद	68.89	बक्सर	106.68
नालंदा	16.42	मुंगेर	103.79
नवादा	10.64	जमुई	96.01
भागलपुर	46.88	शेखपुरा	65.06
बांका	4.81	लखीसराय	80.91

(साभार : प्रभात खबर, 11.12.2015)

भारत में अक्षय ऊर्जा की संभावनाएं

अमेरिकी इंजीनियरों द्वारा तैयार की गयी इस रिपोर्ट में दुनिया के विभिन्न देशों में 10 प्रमुख स्रोतों से हासिल होनेवाली अक्षय ऊर्जा का आकलन किया गया है। हालांकि भारत में जियोथर्मल एनर्जी और टाइडल टरबाइन स्रोत से नगण्य ऊर्जा हासिल होने की संभावना जतायी गयी है, लेकिन बड़े सोलर प्लांटों से देश में खपत होनेवाली करीब आधी ऊर्जा पैदा होने की उम्मीद है। जानते हैं 10 प्रमुख स्रोत और भारत समेत कुछ अन्य देशों में उनसे हासिल होनेवाली ऊर्जा की प्रतिशतता के बारे में:

अक्षय ऊर्जा के स्रोत	भारत	अमेरिका	चीन	जापान	यूके
आवासीय छतों पर सोलर प्लेट से	6.3	8	3.6	7.4	1.1
कॉमर्शियल/सरकारी भवनों के सोलर प्लेट से	8.7	7.4	4.5	11.4	3.0
बड़े सोलर प्लांट से	0.3	24.1	49.3	56.5	6.2
समुद्री तरंगों से हासिल ऊर्जा	0.4	0.4	0.2	1.0	0.8
कॉन्सेंट्रेटेड सोलर प्लांट से	11.5	7.3	9.0	2.0	0.0
जियोथर्मल एनर्जी	0.0	0.5	0.1	0.6	0.0
ऑनशोर विंड एनर्जी	17.0	30.9	16.0	4.5	20.0
हाइड्रोइलेक्ट्रिक	2.5	3.9	4.3	10.5	1.7
ऑफशोर विंड एनर्जी	3.2	17.5	12.9	6.0	65.0
डाइडल टरबाइन	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2

(साभार : प्रभात खबर, 7.12.2015) (फ़ीसदी में) (स्रोत: स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी)

STATE TO GET 200 MW POWER FROM ADANI FIRM TILL JUNE '16

Decks have been cleared for Bihar to purchase 200MW power from Adani Enterprises Limited (AEL) for a period of six months beyond December 31, 2015. A few days back, Bihar Electricity Regulatory Commission (BERC) approved extension of the power purchase Agreement (PPA) With AEL, for procuring 200 MW of power for a limited period of six months. The PPA was to expire on December 31. **(Detail : The Times of India, 17.12.2015)**

ईंट-भट्ठा मालिकों के लिए आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सभी ईंट भट्ठा मालिकों को सूचित किया जाता है कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से स्थापनार्थ सहमति (CTE) और संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये बिना ईंट-भट्ठा इकाईयों की स्थापना अथवा उनका संचालन अवैध है। साथ ही पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित Environment Impact Assessment Notification, 2006 के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना भी एक कानूनी बाध्यता है।

ईंट भट्ठा मालिक जो पर्षद की पूर्व सहमति प्राप्त किये बगैर ईंट भट्ठा स्थापित करते हैं अथवा संचालित करते हैं, उपर्युक्त अधिनियमों के तहत दण्ड के भागी होंगे जो अधिकतम 6 वर्षों तक के कारावास, जुर्माना के साथ अथवा बगैर जुर्माना के हो सकती है।

उपर्युक्त के आलोक में इस सूचना के माध्यम से राज्य के सभी ईट भट्ठा मालिकों को सचेत किया जाता है कि वे ईंट-भट्ठा संचालन के पूर्व पर्षद से आवश्यक सहमति प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

ए. के. ओझा
सदस्य-सचिव

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना- 800023
दूरभाष नं. - 0612-2281250/2232265,फैक्स - 0612-2281050
ई-मेल - bspcb@yahoo.com, वेबसाईट - http://bspcb.bih.nic.in

(साभार : दैनिक जागरण, 13.12.2015)

मंत्रियों को प्रभार वाले जिला आवंटित

उपमुख्यमंत्री तेजस्वी पटना और तेज प्रताप सारण के प्रभारी मंत्री

कैबिनेट ने जारी की अधिसूचना,
आधा दर्जन मंत्री दो से अधिक जिलों के प्रभारी मंत्री मनोनीत

उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पटना के और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव सारण के प्रभारी मंत्री सह अध्यक्ष बनाये गये हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आधा दर्जन मंत्रियों को दो या दो से अधिक जिलों के प्रभारी मंत्री सह अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जारी अधिसूचना के अनुसार जिलों के प्रभारी मंत्री निम्न प्रकार हैं:-

जिलों के प्रभारी मंत्री

जिला	मंत्री
पटना	तेजस्वी प्रसाद यादव
सारण	तेज प्रताप यादव
वैशाली, मुजफ्फरपुर	अब्दुल बारी सिद्दीकी
अररिया, सहरसा, मधेपूरा	बिजेन्द्र प्रसाद यादव
भागलपुर, बांका	राजीव रजन सिंह
सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर	अशोक चौधरी
नवादा, शेखपुरा, लखीसराय	श्रवण कुमार
जहानाबाद, अरवल	जय कुमार सिंह
मधुबनी	आलोक कुमार मेहता
रोहतास	चंद्रिका राय
कटिहार	अवधेश कुमार सिंह
गया	कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा
दरभंगा	महेश्वर हजारी
किशनगंज	अब्दुल जलील मस्तान
पूर्णिया	राम विचार राय
गोपालगंज	शिवचंद्र राम

जिला	मंत्री
पूर्वी चंपारण	डॉ. मदन मोहन झा
नालंदा	शैलेश कुमार
समस्तीपुर	कुमार मंजू वर्मा
कैमूर	संतोष कुमार निराला
सुपौल	डॉ अब्दुल गफूर
बेगूसराय, खगड़िया	चंद्रशेखर
जमुई	खुरशीद उर्फ फिरोज अहमद
बक्सर	मुनेश्वर चौधरी
पश्चिम चंपारण	मदन सहनी
मुंगेर	कपिलदेव कामत
औरंगाबाद	अनिता देवी
भोजपुर	विजय प्रकाश

(साभार : प्रभात खबर, 10.12.2015)

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 अग्रहायण 1937(श.)

(सं. पटना 1323) पटना, शुक्रवार, 18 दिसम्बर 2015

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

18 दिसम्बर, 2015

सं. बिक्री-कर /विविध-43/2011-7022-बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के धारा-62 की उप-धारा (1) एवं बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावाली, 2005 के नियम-40 की उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी परिवहनकर्ता / व्यवसायी द्वारा अथवा उनकी ओर से बिहार राज्य से होकर गुजरने वाले माल के परिवहन के लिए अधिनियम के अधीन पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं. 5441 दिनांक 12 जुलाई, 2012 द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया में संशोधन करते हुए इस अधिसूचना की कंडिका-2.7 को निम्नवत् प्रतिस्थापित करते हैं-

"2.7 राज्य में प्रविष्टी जॉच चौकी से दाखिल होने के 24 घंटों के अंदर उक्त सम्प्रेषण को राज्य के निकासी जॉच चौकी से निकल जाना होगा एवं निकासी जॉच चौकी पर तैनात जॉच दलों को सिस्टम से यह सूचना उपलब्ध होगी कि उक्त पहचान संख्या से संबंधित वाहन/ ट्रक राज्य में कब दाखिल हुआ था। 24 घंटों से अधिक की अवधि व्यतीत होने की दशा में नियमानुसार युक्तियुक्त कारणों से उक्त सम्प्रेषण को राज्य से निकासी की अनुज्ञा दी जा सकेगी।"

2. अधिसूचना संख्या 5441 दिनांक 12 जुलाई, 2012 में दिये गये निदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

3. यह अधिसूचना तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव ।

एक महीने में जीएसटी का ड्राफ्ट होगा तैयार

उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय में विशेष राजस्व सचिव रश्मि वर्मा ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) का मसौदा तैयार होने में एक महीने का और समय लगेगा और एक बार यह पूरा हो जाता है तो हम इसे सार्वजनिक करेंगे और व्यापार संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

वर्मा ने कहा, विभिन्न उद्योग एवं राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के दौरान यह महसूस किया जाता है कि हमें एक प्रतिशत अतिरिक्त कर हटाना चाहिए, हम इस पर विचार के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि एक प्रतिशत अतिरिक्त कर हटने से, जीएसटी ढांचे में उल्लेखनीय रूप से सुधार होगा। रश्मि वर्मा ने हालांकि रेखांकित किया कि सरकार वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर के कर-पर-कर प्रभाव को कम करने के लिए पहले ही जीएसटी विधेयक में बदलाव कर चुकी है जो फिलहाल राज्यसभा में है। उन्होंने कहा, प्रस्तावित एक प्रतिशत अतिरिक्त कर के बारे में कई राय हैं। इस पर विचार करने वाली प्रवर समिति ने भी सिफारिश की थी जिसे हमने स्वीकार कर लिया है। इसके तहत अब एक प्रतिशत अतिरिक्त कर केवल बिक्री पर होगा।

एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने के प्रस्ताव को छोड़ने को तैयार : वर्मा ने कहा कि जो कागज अभी सार्वजनिक किया गया है, वह केवल कानून के मसौदे पर चर्चा के लिए एक प्राथमिक दस्तावेज मात्र है और भविष्य में इसमें कई बदलाव हो सकते हैं। जीएसटी क्रियान्वित करने के लिए संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद केन्द्र तथा राज्यों को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को प्रभाव में लाने के लिए कानून बनाना होगा। विशेष सचिव ने कहा कि उद्योग मांग करता है तो वस्तुओं की अंतरराज्यीय आवाजाही पर एक % अतिरिक्त कर लगाने के प्रस्ताव को छोड़ सकते हैं। **(बिज़नेस स्टैंडर्ड, 16.12.2015)**

CEA PANEL FOR MAIN GST RATE AT 17-18%

Moots RNR at 15-15.5%; says no to 1% extra levy

The political cloud over the goods and services tax (GST) hasn't really lifted, but the government has made its case more compelling for the Opposition and industry: A designated committee suggested the standard GST rate at an attractive and somewhat globally. competitve17-18% and voted against burdening the Constitution with the minutiae like the tax rates which should rather be a political choice and change with circumstances. The committee, headed by chief economic adviser Arvind Subramanian, also pitched for replacing all extant taxes on interstate trade with GST and denounced the idea of a 1% additional tax to help "manufacturing states."

The committee, with the principal mandate to define the revenue-neutral rate or RNR for GST, put it at 15-15.5% with a strong bias against keeping exemptions and preference for the lower end of that, after approaching the goal in three different ways. "The RNR, which as the name suggests would preserve the revenue levels for the Centre and states and, hence, not fan inflation, will manifest itself in three rates - apart from the standard rate, there would be a "low rate" of 12% for essential goods and a demerit rate of a prohibitive 40% on tobacco products, aerated beverages, luxury cars and the like. The rates, of course, will comprise both the Centre and state components with a slightly higher share for the latter - in the case of the standard rate, for instance, a 17 % rate would include the states' 9 %.

Precious metals that currently enjoy concessional rates of around 1 %, the committee suggested, could be subjected to higher levies (up to 6 %) to avoid the standard GST rate climbing to 20%, an eventuality that could distort the economy and lead to inflationary pressures.

Talking to the media after submitting the report to finance minister Arun Jaitley in Subramanian said policy makers' goal should be to make the GST as broad-based as possible, implying the need for an early re-look at the plan to keep petroleum products, real estate, electricity and alcohol outside the ambit of the proposed comprehensive indirect tax.

Education and healthcare, to be exempt initially, would also

RATE OPTIONS SUGGESTED BY SUBRAMANIAN COMMITTEE

(in %)	RNR*	Rate on precious metals	Low rate (goods)	Standard rate (goods & services)	High/ demerit rate or non GST excise (goods)
Preferred	15	6	12	16.9	40
		4		17.3	
		2		17.7	
Alternative	15.5	6	12	18.0	40
		4		18.4	
		2		18.9	

*Revenue neutral rate All rates are the some of the rates for the Centre & States

need to bought under GST without much delay, he said, adding that India, should strive towards a one-rate structure in the medium term. "The design of GST cannot afford to cherry-pick (among items for the purpose of differential tax rates) as that would undermine the objective of GST,"the committee said.

Stating that the GST rate proposed could still be slightly "on the higher side", compared with developed countries and even some emerging market economies, Subramanian said the pan-India GST system that would militate against cascading of taxes would have a "self-policing" trait and provide a "historic opportunity to Make in India by Making One, India". "If you look around the federal systems in the world that have implemented VAT, it is remarkable how ambitious the Indian GST can be. The Indian GST would be the cleanest VAT that combines the best of centralised and decentralised systems in other countries," he said.

(Source : Financial Express, 5.12.2015)

वाणिज्य कर ने दर्ज की 32 फीसद ग्रोथ

विधानसभा चुनाव की व्यस्तता के बावजूद इस वर्ष वाणिज्य कर विभाग की गाड़ी पटरी पर है। नवम्बर महीने तक विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में औसतन 32 फीसद ग्रोथ दर्ज की है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस वर्ष भी विभाग अपना टारगेट पूरा करेगा।

चालू वर्ष में विभाग को 17 हजार करोड़ रूपये से अधिक का राजस्व संग्रह करना है। विधानसभा चुनाव से विभागीय अधिकारियों की ड्यूटी व्यय कोषांग में रहती थी। इस कारण कर संग्रह थोड़ा प्रभावित हुआ है। नवम्बर महीने में विभाग ने 9874 करोड़ से अधिक की वसूली की थी। इसमें पटना विशेष अंचल ने पिछले वर्ष के 452.2 करोड़ की तुलना में नवम्बर अंत तक 551 करोड़ की वसूली की है। पटना सिटी पूर्वी अंचल ने 21 की जगह 28 करोड़ राजस्व की वसूली की है। मोतिहारी ने 7.25 करोड़ की जगह 9.66 करोड़ की वसूली की है। पूर्णिया ने भी पिछले साल नवम्बर में 10.69 करोड़ की जगह इस नवम्बर महीने में 12.42 करोड़ की वसूली की है। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में लगातार गिरावट आई, जिसका असर राजस्व संग्रह पर पड़ा है।

(साभार : दैनिक जागरण, 12.12.2015)

600 प्रतिष्ठानों का होगा वैट ऑडिट

वाणिज्य कर विभाग पटना के 600 प्रतिष्ठानों का वैट ऑडिट करेगा। इनमें 288 कंपनियां और कंपनी के वितरक हैं, जबकि 300 अन्य प्रतिष्ठान हैं। पटना पूर्वी प्रमंडल में 97 एवं पटना पश्चिमी प्रमंडल में 197 प्रतिष्ठान शमिल है। केंद्रीय प्रमंडल में 288 कंपनियां शामिल हैं।

विभाग ने सभी प्रतिष्ठानों के लिए तिथि निर्धारित कर दी है। इसे दिसम्बर के अंत तक पूरा कर लेना है। अगर कोई व्यापारी समय पर नहीं आता है तो उसपर एक्स पार्टी कर संबंधित अंचल को दिशा-निर्देश देते हुए भेज दिया जाएगा, जहाँ केन्दीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिए गए आदेश पर जांच कर प्रतिष्ठान के मालिक पर डिमांड नोटिस भेजी जाएगी। इसके बाद भी अगर व्यापारी नहीं आता है, तो उसपर तीन गुना पेनॉल्टी की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। विभाग के वरीय अधिकारी ने बताया कि वैट के अंतर्गत 2011-12 की अवधि के लिए कई प्रतिष्ठानों का अंकेक्षण होना है। पूर्व में भी चयनित व्यापारियों को अंकेक्षण के लिए नोटिस भेजी गई थी। इसके बाद भी अंकेक्षण के लिए कई लोग नहीं हैं। ऐसी स्थिति में व्यापारियों को अंतिम मौका दिया है। **(हिन्दुस्तान, 11.12.2015)**

बिहार में तंबाकू पर रोक बरकरार रहेगी

बिहार में राज्य सरकार ने तंबाकू पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी सूचना राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। गत वर्ष लगाए गए बैन की अवधि छह नवम्बर को समाप्त हो गई थी। इससे राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध बरकरार हो गया है।

शीर्ष कोर्ट इस मामले में जर्दा निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिन्होंने तंबाकू पर रोक की अधिसूचना को चुनौती दी है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नगेन्द्र राय ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एचएल दत्तू की पीठ से कहा कि सरकार नई अधिसूचना ले आई है और कोर्ट में मामला लंबित होने के मद्देनजर यह सूचना न्यायालय को दी जा रही है। राज्य के इस वक्तव्य का जर्दा निर्माता कंपनियों ने कड़ा विरोध किया और कहा कि सरकार कोर्ट में मसला लंबित रहते नई अधिसूचना नहीं ला सकती। कंपनियों की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने दलील दी कि सरकार को पिछले वर्ष जारी की गई अधिसूचना पर फैसला होने देना चाहिए था। लिहाजा इस अधिसूचना पर रोक लगाई जाए। लेकिन राय ने कहा कि अधिसूचना जारी करने पर कोर्ट की ओर से कोई रोक नहीं लगाई गई है। सरकार राज्य को तंबाकू रहित बनाना चाहती है इससे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। इस पर पीठ ने कहा कि इस मामले को अगले हफ्ते सूचीबद्ध किया जाए। अब यह मामला नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर की पीठ के समझ आएगा। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने गुटखे को फूड सेफ्टी एक्ट के अधीन मानते हुए स्वास्थ्य के लिए खतरे को देखकर नवम्बर 2014 में इसकी बिक्री पर पूर्ण रोक लगा दी थी। लेकिन तंबाकू निर्माताओं ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। **(हिन्दुस्तान, 3.12.2015)**

फर्जी कंपनियों पर बिहार कसेगा नकेल

बिहार में फर्जी वित्तीय कंपनियों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने इनके और इनके अधिकारियों पर जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल करने का फैसला किया है। साथ ही, वह ऐसे कंपनियों के बहकावे में आने से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार अपने कानून में भी बदलाव करेगी।

इस बारे में राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में फैसला किया। बैठक में राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक के बाद रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक मनोज कुमार वर्मा ने बताया, 'हम इन कंपनियों के मामले में कड़ाई बरत रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस साल अब तक राज्य में फर्जी वित्तीय कंपनियों के केवल दो मामले सामने आए हैं। इस बारे में हमने राज्य सरकार के साथ मिलकर विशेष न्यायालयों के गठन का काम पूरा कर लिया है। हालांकि, मामलों के निपटारे की रफ्तार थोड़ी सुस्त जरूर है, लेकिन हमने अब इसमें तेजी लाने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने 2013 तक प्रकाश में आए फर्जी वित्तीय कंपनियों के मामलों में जल्द से जल्द आरोप पत्र दायर करने का फैसला किया है। साथ ही, हमने राज्य सरकार से बाकी के मामलों में भी जांच की रफ्तार तेज करने का फैसला किया है।'

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 12.12.2015)

वर्ष 2005 से पहले वाले बैंक नोटों को 30 जून 2016 तक निर्धारित बैंक शाखाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में बदला जा सकता है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2005 के पहले वाले बैंकनोटों को बदलने हेतु जनता के लिए निर्धारित तारीख को 30 जून 2016 तक बढ़ाया जाए। तथापि, 01 जनवरी 2016 से यह सुविधा केवल निर्धारित बैंक शाखाओं (https://www.rbi.org.in/Scripts/ Regionaloffices.aspx) और रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में ही उपलब्ध होगी। रिज़र्व बैंक ने जून 2015 में वर्ष 2005 से पहले के बैंकनोटों को बदलने हेतु जनता के लिए अंतिम तारीख 31 दिसम्बर 2015 तय की थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन बैंकनोटों को संचलन से वापिस लेने में सहयोग प्रदान करने के लिए जनसाधारण से आग्रह किया है कि वे वर्ष 2005 से पहले के बैंकनोटों को अपनी सुविधानुसार निर्धारित बैंक शाखाओ या रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में बदलें।

रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। इस कदम की जानकारी देते हुए रिज़र्व बैंक ने बताया है कि महात्मा गांधी श्रृंखला वाले बैंकनोट एक दशक के लिए संचलन में हैं। पुराने बैंकनोटों के अधिकांश नोटों को बैंक शाखाओं के माध्यम से वापिस ले लिया गया है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि पुराने डिजाइन के शेष नोटों को भी संचलन से वापिस ले लिया जाए। रिज़र्व बैंक ने यह सूचित किया है कि अलग-अलग श्रृंखलाओं के करेंसी नोटों को एक साथ प्रचलन में नहीं रखा जाए, यह एक मानक अंतरराष्ट्रीय प्रथा है। रिज़र्व बैंक इस प्रक्रिया की निगरानी और समीक्षा करना जारी रखेगा ताकि जनसाधारण को कोई भी असुविधा न हो।

अल्पना किल्लावाला
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

(स्रोत : आरबीआई प्रेस प्रकाशनी, दिनांक 23.12.2015)

नहीं बदलेगी आपकी ईएमआई

ब्याज दरों में बदलाव नहीं, रेपो रेट 6.75 परसेंट पर बरकरार

आरबीआई ने अपनी तिमाही मौद्रिक समीक्षा के दौरान ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक समीक्षा में आरबीआई ने अपनी तमाम दरों को जस का तस रखा है। आरबीआई ने रेपो को 6.75 परसेंट पर ही बरकरार रखा है। एमएसएफ और बैंक दर को पहले जैसा यानि 7.75 परसेंट और कैश रिजर्व रेशियो को चार परसेंट के स्तर पर बरकरार रखा है। आरबीआई के ब्याज दरें जस की तस रखने की वजह से आपकी ईएमआई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(साभार : आईनेक्स्ट, 2.12.2015)

बैंकों को अब बताने होंगे डिफॉल्टरों के नाम

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) और बैंकिंग क्षेत्र को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जल्द ही उन लोगों और कंपनियों के नाम बताने पड़ सकते हैं, जो कर्ज चुकाने में चूक कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि बैंक 'आर्थिक हित, व्यावसायिक गोपनीयता और विश्वास के रिश्तों' का हवाला देकर चूक करने वालों यानी डिफॉल्टरों और अनियमितताओं के बारे में सूचना देने से इनकार नहीं कर सकते। आरबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और नाबार्ड ने नाम सार्वजनिक किए जाने के केन्द्रीय सूचना आयुक्त के आदेशों के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की थीं। उनका कहना था कि बैंकिंग नियमों और गोपनीयता के कारण ऐसा नहीं किया जा सकता।लेकिन उच्चतम न्यायालय ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, 'तथ्यों से पता चलता है कि बैंक गुपचुप तरीके से किए अपने काम छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें सार्वजनिक जाँच या निगरानी में अधिक से अधिक रहना चाहिए।' न्यायालय ने कहा कि उसे लग रहा है कि कई वित्तीय संस्थानों ने ऐसी हरकतें की हैं, जो न तो सही हैं और न ही पारदर्शी हैं।

न्यायालय में दो प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील प्रशांत भूषण ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, 'उच्चतम न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि आरबीआई जैसी सार्वजनिक संस्थाएं बहाने बनाते हुए सूचनाएं छिपाकर सूचना के अधिकार कानून का कितना मखौल उड़ा रही हैं। जिन डिफॉल्टरों की कोई हैसियत ही नहीं है या जिन्होंने गलत तरीके से रकम इधर-उधर की है, उनके नाम दबाए रखने की कोशिश की जा रही है। क्यों? बैंकों को न्यायालय का यह आदेश अपनी वेबसाइटों पर लगाना चाहिए और सूचनाओं के खुलासे के लिए आरबीआई की ओर से प्रोत्साहन आना चाहिए।'

न्यायालय के आदेश पर तत्काल टिप्पणी के लिए आरबीआई के अधिकारी नहीं मिल सके। बैंकों ने इस पर प्रतिक्रिया से इनकार कर दिया। किंतु कुछ बैंकों ने यह जरूर कहा कि आरबीआई के साथ मिलकर वे उच्च पीठ के पास अपील कर सकते हैं।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 17.12.2015)

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

PRESS RELEASE

New Delhi, 15th December, 2015

Subject: Amendment of Rules regarding quoting of PAN for specified transactions — regarding.

The Government is committed to curbing the circulation of black money and widening of tax base. To collect information of certain types of transactions from third parties in a non-intrusive manner, the Income-tax Rules require quoting of PAN where the transactions exceed a specified limit. Persons who do not hold PAN are required to fill a form and furnish any one of the specified documents to establish their identity.

One of the recommendations of the Special Investigation Team (SIT) on Black Money was that quoting of PAN should be made mandatory for all sales and purchases of goods and services where the payment exceeds Rs. 1 lakh. Accepting this recommendation, the Finance Minister made an announcement to this effect in his Budget speech. The Government has since received numerous representations from various quarters regarding the burden of compliance this proposal would entail. Considering the representations, it has been decided that quoting of PAN will be required for transactions of an amount exceeding Rs.2 lakh regardless of the mode of payment.

To bring a balance between burden of compliance on legitimate transactions and the need to capture information relating to transactions of higher value, the Government has also enhanced the monetary limits of certain transactions which require quoting of PAN. The monetary limits have now been raised to Rs. 10 lakh from Rs. 5 lakh for sale or purchase of immovable property, to Rs. 50,000 from Rs. 25,000 in the case of hotel or restaurant bills paid at any one time, and to Rs. 1 lakh from Rs. 50,000 for purchase or sale of shares of an unlisted company. In keeping with the Government's thrust on financial inclusion, opening of a no-frills bank account such as a Jan Dhan Account will not require PAN. Other than that, the requirement of PAN applies to opening of all bank accounts including in co-operative banks.

The changes to the Rules will take effect from 1st January, 2016.

The above changes in the rules are expected to be useful in widening the tax net by non-intrusive methods. They are also expected to help in curbing black money and move towards a cashless economy.

A chart highlighting the key changes to Rule 114B of the Income-tax Act is attached.

(Shefali Shah)
Pr. CIT(OSD),
Official Spokesperson, CBDT

NATURE OF TRANSACTION	MANDATORY QUOTING OF PAN (RULE 114B)	
	Existing Requirement	New Requirement
1. Immovable property	Sale/ purchase valued at Rs. 5 lakh or more	i. Sale/ purchase exceeding Rs.10 lakh; ii. Properties valued by Stamp Valuation authority at amount exceeding Rs.10 lakh will also need PAN.
2. Motor vehicle (other than two wheeler)	All sales/purchases	No change
3. Time deposit	Time deposit exceeding Rs. 50,000/- with a banking company	i. Deposits with Co-op banks, Post Office, Nidhi, NBFC companies will also need PAN; ii. Deposits aggregating to more than Rs. 5 lakh during the year will also need PAN
4. Deposit with Post Office Savings Bank	Exceeding Rs.50,000/-	Discontinued
5. Sale or purchase of securities	Contract for sale/ purchase of a value exceeding Rs. I lakh	No change
6. Opening an account (other than time deposit) with a banking company.	All new accounts.	i. Basic Savings Bank Deposit Account excluded (no PAN requirement for opening these accounts); ii. Co-operative banks also to comply
7. Installation of telephone / cell phone connections	All instances	Discontinued
8. Hotel/restaurant bill (s)	Exceeding Rs. 25,000/- at any one time (by any mode of payment)	Cash payment exceeding Rs. 50,000/-.
9. Cash purchase of bank drafts/ pay orders/ banker's cheques	Amount aggregating to Rs. 50,000/- or more during any one day	Exceeding Rs. 50,000/- on any one day.
10.Cash deposit with banking company	Cash aggregating to Rs.50,000/- or more during any one day	Cash deposit exceeding Rs. 50,000/- in a day.
11. Foreign travel	Cash payment in connection with foreign travel of an	Cash payment in connection with foreign travel or purchase of foreign

	amount exceeding Rs. 25,000/- at any one time (including fare, payment to travel agent, purchase of forex)	currency of an amount exceeding Rs. 50,000/- at any one time. (including fare, payment to travel agent)
12. Credit card	Application to banking company/ any other company/institution for credit card	No change. Co-operative banks also to comply.
13. Mutual fund units	Payment of Rs. 50,000/- or more for purchase	Payment exceeding Rs. 50,000/- for purchase.
14. Shares of company	Payment of Rs. 50,000/- or more to a company for acquiring its shares	i. Opening a demat account ii. Purchase or sale of 'shares of an unlisted company for an amount exceeding Rs. 1 lakh per transaction.
15. Debentures/ bonds	Payment of Rs. 50,000/- or more to a company/ institution for acquiring its debentures/ bonds	Payment exceeding Rs. 50,000/-.
16. RBI bonds	Payment of Rs. 50,000/- or more to RBI for acquiring its bonds	Payment exceeding Rs. 50,000/-.
17. Life insurance premium	Payment of Rs. 50,000/- or more in a year as premium to an insurer	Payment exceeding Rs. 50,000/- in a year.
18. Purchase of jewellery/ bullion	Payment of Rs. 5 lakh or more at any one time or against a bill	Deleted and merged with next item in this table.
19. Purchases or sales of goods or services	No requirement	Purchase/sale of any goods or services exceeding Rs.2 lakh per transaction.
20. Cash cards/ pre-paid instruments issued under Payment and Settlement Act	No requirement	Cash payment aggregating to more than Rs. 50,000 in a year.

Tax Devolution to Bihar Rises 16.5% to ₹ 66,368 crore

After the recommendations of the 14th Finance Commission, the tax devolution to Bihar rose by 16.5% to ₹ 66,368 crore, Parliament was informed on 21.12.2015. The government has accept ed the recommendations of the 14th Finance Commission to increase the shareable pool of tax devolution from 32% to 42% for its award period (2015-20) which gives more resources and greater freedom to use these resources to the states, minister of state for planning Rao Inderjit Singh told the Rajya Sabha.

"Total transfers in 2015-16 to Bihar state have increased by almost 16.5% in comparison to 2014-15," he said.

Singh, in a written reply to the House, was responding to a query if the amount earmarked for Bihar under several centrally sponsored schemes was being reduced constantly.

In 2014-15 (actual), the share of Bihar was at ₹ 56,961 crore. However, under the Central Assistance to State & Union Territories Plan (CASP), the total provision of plan transfer for all states was ₹ 2.71 lakh crore in 2014-15 (revised estimate), which has been reduced to ₹ 1.96 lakh crore in 2015-16 (budgetary estimate), a 27.6% reduction. Accordingly. in the case of Bihar, it is reduced by about 24.6%, the minister added. **(Source : Hindustan Times, 22.12.2015)**

सस्ता होगा नए फार्मूला से कर्ज

आरबीआइ की पहल : नहीं चलेगी बैंकों की आँख मिचौली

रिजर्व बैंक (आरबीआइ) गवर्नर रघुराम राजन ने कई बार चेताया कि बैंक रेपो रेट में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को दें। इसके बावजूद बैंकों के कान पर जूं नहीं रेंगी। आरबीआइ ने कर्ज की दरें तय करने का नया फॉर्मूला पेश कर बैंकों के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। कर्ज की ब्याज दरों को लेकर बैंक अब न तो ग्राहकों के साथ और न ही आरबीआइ के साथ आँख मिचौली कर सकेंगे। बेस रेट तय करने का नया फॉर्मूला अप्रैल, 2016 से लागू होगा। इसके बाद कर्ज की दरें नीचे आएंगी।

आरबीआइ के नए फॉर्मूले में चालू जमा, बचत खाता योजना, सभी स्थायी जमा योजनाएं, विदेशी मुद्रा में जमा स्कीमें, रुपये व विदेशी मुद्राओं में लिए गए कर्ज की देनदारी और नेटवर्थ पर रिटर्न की दर को मिलाया जाएगा। जानकारों की मानें तो नया फॉर्मूला लागू होने के बाद कर्ज की मौजूदा दरों में निश्चित तौर पर गिरावट होगी। राजन ने इस महीने की शुरुआत में मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए कहा था कि पिछले एक वर्ष में रेपो रेट में 1.25 फीसद की कटौती के बावजूद बैंकों ने ग्राहकों को महज 0.60 फीसद का फायदा दिया है। रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक आरबीआइ से कम अवधि का कर्ज लेते हैं।

जानकारों का मानना है कि केंद्रीय बैंक का नया फॉर्मूला मौजूदा तौर तरीके से काफी पारदर्शी होगा। आरबीआइ ने यह भी पुख्ता कर दिया है कि बैंक एक निश्चित अंतराल पर ब्याज दरों को तय करने से जुड़ीं सारी सूचनाएं सार्वजनिक करें। इसका नतीजा यह होगा कि जनता को पता चल सकेगा कि उससे ज्यादा ब्याज नहीं लिया जा रहा है। केन्द्रीय बैंक ने यह साफ कर दिया है कि बैंक जिस दर पर फंड जुटाते हैं (जमा योजना वगैरह के जरिये) उसकी मार्जिनल लागत के आधार पर ही कर्ज की दर तय की जाएगी। **(साभार: दैनिक जागरण, 19.12.2015)**

राजस्व बढ़ाने के लिए विस समिति की सिफारिश

सर्राफा व्यवसायियों का जिलावार निबंधन हो

नागरिकों को शुद्ध सोना/जेवरात की गारंटी के लिए कारोबार पारदर्शी बने

बिहार विधानसभा का आंतरिक संसाधन और केन्द्रीय सहायता समिति ने सरकार का राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा स्वर्ण व्यवसायियों पर समुचित निगरानी रखने की अपेक्षा के साथ राज्य में व्यापक अभियान चलाकर रत्न, हीरा, सोना व चांदी के व्यवसायियों का जिलेवार निबंधन सुनिश्चित करने की सिफारिश की है। इसके साथ समिति ने हर व्यवसायी के मासिक कारोबार का लेखा-जोखा सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की है, ताकि नागरिकों को शुद्ध सोना व जेवरात की गारंटी हो सके।

समिति का 13वां प्रतिवेदन हाल के विधानसभा सत्र में पेश हुआ है। समिति ने कहा कि सर्राफा व्यवसायी एक साथ कई लाभ लेते हैं। दुकान का निबंधन नहीं कराते हैं। निर्वेधित दुकान से भी पक्की रसीद नहीं मिलती है। वाणिज्य कर विभाग हर दुकान का निबंधन और पक्की रसीद कटवाना सुनिचित कर दे तो न सिर्फ विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, बल्कि आम जनता को शुद्ध सोना व आभूषण मिल सकेगा। सभी व्यवसायी दुकानों में कंप्यूटराइज्ड बिलिंग सुनिश्चित करें और जेवरात की शुद्धता की जांच के लिए आवश्यक उपकरण लगाएं, ताकि ग्राहकों को संतुष्टि मिल सके। केन्द्रीय सहायता समिति के सभापति डॉ. इजहार अहमद के हस्ताक्षर से समिति का 13वां प्रतिवेदन बना है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 11.12.2015)**

संसद में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता 2015 पेश

कारोबार आसान करने को नया कानून बनेगा

देश में कारोबार करने के माहौल को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने संसद में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता 2015 पेश कर दिया। इसमें दिवाला संबंधी मामलों का समयबद्ध तरीके से समाधान निकालने का प्रावधान किया गया है।

विधेयक का उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित करना है ताकि उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल की जा सके। विधेयक में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि पेशेवरों, एजेंसियों और सूचना सेवाओं के क्षेत्र में कंपनियों, गठजोड़फर्म और व्यक्तियों के दिवालिया होने के विषयों का नियमन किया जा सके। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, कॉरपोरेट क्षेत्र में दिवाला मामलों का समाधान 180 दिनों में होगा जिसे 90 दिन और बढ़ाया जा सकता है।

कॉर्पोरेट दिवाला के मामलों का त्वरित निपटारा 90 दिनों में करने का भी प्रावधान किया गया है। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे पेश करते

हुए कहा कि इस संहिता में एक कोष स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जिसे भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोष कहा जाएगा। मौजूदा समय में इस विषय पर विभिन्न मामलों के निपटारे के लिए कई कानून हैं जिनमें रूग्ण औद्योगिक कंपनी विशेष उपबंध अधिनियम 1993, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम 1993, कंपनी अधिनियम 2013 आदि शामिल हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 22.12.2015)**

10 वर्षों में बिहार में बंद हुए सिंगल स्क्रीन वाले 156 सिनेमाहॉल

10 वर्षों में बिहार में मात्र पाँच सिने प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स ही खुले

सिंगल सिनेमा हॉलों में फिल्मों का मजा लेना अब आम दर्शकों के लिए दुश्वार हो चला है। फिल्में मंहगी होने और सिनेमा व्यवसाय के रिस्की हो जाने के कारण सूबे में जल्दी कोई सिनेमा हॉल खोलने को तैयार नहीं हो रहा। यह हाल तब है, बिहार में नया सिनेमा हॉल खोलने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन नीति बनायी है। इस नीति के तहत नया सिनेमा हॉल खोलने वालों को पाँच वर्षों तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।

बिहार में चालू और बंद सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमा हॉल

जिला	हॉल	चालू	बंद	जिला	हॉल	चालू	बंद
पटना	28	15	13	मधेपुरा	07	02	05
अररिया	05	02	03	मधुबनी	62	38	24
औरंगाबाद	05	03	02	मुंगेर	27	08	19
बेगूसराय	19	11	08	मुजफ्फरपुर	33	14	19
भभुआ	02	00	00	नालंदा	08	05	03
भागलपुर	26	14	12	नवादा	13	07	06
बक्सर	20	11	09	पूर्णिया	10	05	05
दरभंगा	21	18	03	रोहतास	20	11	09
मोतिहारी	38	27	11	सहरसा	07	05	02
गया	16	10	06	समस्तीपुर	34	14	20
गोपालगंज	31	15	16	छपरा	26	09	17
जहानाबाद	03	02	01	शेखपुरा	02	01	01
जमुई	07	00	00	शिवहर	02	01	01
कटिहार	08	04	04	सीतामढी	18	11	07
खगड़िया	07	03	04	सीवान	22	19	03
किशनगंज़	03	02	01	सुपौल	02	01	01
लखीसराय	02	00	02				

पटना में 24 प्रतिशत मनोरंजन कर : पटना में 10 वर्षों में सिने पॉलिस, फन रिजेंट और एलिफिंस्टन, हाजीपुर में एसआरएस और गया में एपीआर जैसे सिने प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स ही खुले है, जबकि झारखंड इस मामले में आगे निकल गया है। बिहार में सिनेमा हॉलों को 24 से आठ प्रतिशत ही मनोरंजन कर ही देना पहता है। सिर्फ पटना के ही सिनेमा हॉलों को 24 प्रतिशत मनोरंजन कर देना पड़ता है। जबकि अन्य जिलों के सिनेमा हॉलों को महज आठ प्रतिशत ही मनोरंजन कर लगता है। यही नहीं, वातानुकूलित सिनेमा हॉलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति दर्शक तीन रुपये मेंटेनेंस शुल्क का अनुदान भी मिल रहा है।

(साभार : प्रभात खबर, 15.12.2015)

अगले बजट में ढेरों सामान पर खत्म हो सकती है उत्पाद शुल्क छूट

शुल्क में छूट की सूची पर कैंची

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू होने के तो अब कोई आसार नजर आ नहीं रहे हैं। इसीलिए सरकार अगले साल के बजट में उत्पाद शुल्क छूट में कंजूसी कर सकती है। अभी करीब 300 वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से छूट वाली सूची में रखा गया है। इनमें कमी की जा सकती है ताकि अतिरिक्त राजस्व इकट्ठा किया जा सके। इस राजस्व का इस्तेमाल सातवें वेतन आयोग और वन रैंक वन पेंशन योजना की वजह से खजाने पर पड़ने वाले बोझ को कम करने में हो सकता है।

सरकार का यह कदम जीएसटी में केन्द्रीय कराधान के प्रस्तावित प्रावधानों के मुताबिक ही होगा। उनमें कहा गया है कि केन्द्र की छूट वाली सूची में अभी 300 वस्तुएं शामिल हैं, जबकि राज्य केवल 90 वस्तुओं पर कर छोड़ते हैं। जीएसटी के तहत केन्द्र से छूट वाली वस्तुएं भी घटाकर 90 कर दी जाएंगी। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'कर छूट को खत्म करने का विचार है। इससे कर का आधार ही नहीं बढ़ेगा बल्कि कराधान के ढांचे मे भी स्पष्टता आएगी।' अनुमान के मुताबिक छूट वाली वस्तुओं की सूची को 300 से घटाकर 90 करने से सरकारी खजाने में करीब 50,000 से 60,000 करोड़ रुपये और आ जाएंगे। 2011-12 में इस सूची में 470 वस्तुएं शामिल थीं, जिसमें कतरब्योंत कर अब 300 पर सीमित कर दिया गया है। अभी इस सूची में शामिल वस्तुओं में बिस्कुट, शहद, मक्खन, चीज, चाय, कॉफी और रस्क आदि पर केन्द्र सरकार उत्पाद शुल्क नहीं वसूलती है, लेकिन राज्य सरकारें उन पर शुल्क लेती हैं। फलों के जूस और उनके गूदे पर उत्पाद शुल्क में रियायत दी जाती है। और केवल 2 फीसदी शुल्क वसूला जाता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविन्द सुब्रमण्यन ने जीएसटी के लिए राजस्व तटस्थ दर की सिफारिश करने के लिए हाल ही में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कुल 1.8 लाख करोड़ रुपये की भारी भरकम छूट दी जाती है, जो वास्तविक कर संग्रह की करीब 80 फीसदी है और सकल घरेलू उत्पाद की 1.5 फीसदी बैठती है। रिपोर्ट में कहा गया, 'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट से अभी करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, जिनमें से अच्छी खासी रकम वसूली जा सकती है।' रिपोर्ट में कहा गया है कि छूट की सूची कतरी जा सकती है और उसमें वही वस्तुएं लाई जानी चाहिए जिनका इस्तेमाल गरीब करते हैं, जैसे खाने-पीने की वस्तुएं।

ईवाई के वरिष्ठ कर सलाहकार सत्या पोद्दार ने कहा, 'अगर जीएसटी लागू नहीं हो रहा है तो राजस्व बढ़ाने के विकल्प के तौर पर उत्पाद शुल्क में छूट वाली सूची को काटना-छांटना समझदारी भरा कदम होगा। इससे कर आधार भी बढ़ेगा। सूची में वस्तुओं की संख्या 300 से घटाकर 90 करने पर 50,000 से 60,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है।' पीडब्ल्यूसी के गौतम खट्टर ने कहा, 'उत्पाद शुल्क में छूट की सूची को छोटा करना और इसे जीएसटी मॉडल के अनुरूप बनाना सरकार के लिए राजस्व का अतिरिक्त स्रोत बन सकता है।' बीएमआर एडवाइजर्स में लीडर, अप्रत्यक्ष कर, राजीव डिमरी ने कहा कि उत्पाद शुल्क में छूट वाली सूची को पिछले कुछ वक्त से घटाया जा रहा है और इसमें ज्यादा कटौती राजस्व के लिहाज से अच्छा कदम साबित होगी।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 22.12.2015)

नये बजट की तैयारी. वित्त विभाग ने शुरू की पहल,
नये वित्तीय वर्ष में योजना आकार बढ़ने के आसार

रेवेन्यू सरप्लस नहीं होगा 2016-17 का बजट

मौजूदा वित्तीय वर्ष समाप्त होने में तीन महीने बचे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही वित्त विभाग में नये बजट को तैयार करने की पहल भी शुरू हो गयी हैं। नये वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट रेवेन्यू सरप्लस वाला नहीं होगा। इसका प्रमुख कारण मौजूदा वित्तीय वर्ष 2015-16 में शिक्षकों को वेतनमान देना, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, पेंशन संमेत इस तरह के अन्य मदों में खर्च बढ़ने के कारण इसका प्रभाव राज्य के राजस्व पर पड़ेगा। इस वित्तीय वर्ष और आगामी वित्तीय वर्ष में नये पदों पर बदाली होने के कारण भी वेतन मद का आकार बढ़ने के आसार है। इस कारण भी राजस्व सरप्लस बजट नहीं होने की उम्मीद है। हालांकि ऐसा होना राज्य की तरक्की के लिए एक तरह से अच्छा ही माना जा रहा है।

रेवेन्यू सरप्लस बजट नहीं होने का मतलब : वित्तीय जानकारों का कहना है कि रेवेन्यू सरप्लस बजट नहीं होने का मतलब वेतन, पेंशन और सड़क एवं भवनों के मेंटेनेंस या रखरखाव पर खर्च बढ़ना है। सरकार नये रोजगार का सृजन अपने स्तर से कर रही है। इस कारण भी रेवेन्यू सरप्लस बजट नहीं हो रहा है। यह लोगों के लिए हितकारी ही साबित होगा। राज्य में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथ ही सड़कों और भवनों के रखरखाव पर भी ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य तरह के ऑपरेशनल कार्य पर सरकार की तरफ से ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है। जिसका नतीजा बजट रेवेन्यू सरप्लस नहीं होना है। इस तरह के परिणाम पिछले कई साल के प्रयास के कारण संभव हो पाया है।

पिछले पांच साल से रेवेन्यू सरप्लस था बजट : पिछले पाँच सालों से लगातार राज्य का बजट रेवेन्यू सरप्लस वाला ही था। इसका प्रमुख कारण सरकारी स्तर पर कर्मचारियों की भर्ती बड़े स्तर पर नहीं होना। इससे कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद लगातार स्थान खाली होते गये और वेतन मद का खर्च कम होता गया। इसके अलावा आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर ही ज्यादा खर्च हो रहा था। राज्य में अब सड़क समेत अन्य कई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो गया है, जिनका मेंटेनेंस अब होना है। इन पर भी खर्च शुरू हो गया है। इस कारण भी राजस्व मद में खर्च बढ़ा है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14से ही रेवेन्यू सरप्लस को नियंत्रित करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। इसका नतीजा इस मौजूदा वित्तीय वर्ष और आगामी वित्तीय वर्ष में देखने को मिल रहा है।

इस वित्तीय वर्ष में रेवेन्यू सरप्लस बजट	
वर्ष	रुपये
2010-11	6,316
2011-12	4,826
2012-13	5,100
2013-14	6,441
2014-15	5,847

प्रमुख विभागों का बजट आकार : • शिक्षा- 10950 करोड़ • पथ निर्माण- 4856 करोड़ • समाज कल्याण- 4132 करोड़ • स्वास्थ्य- 2371 करोड़ • ग्रामीण विकास- 5420 करोड़ • ऊर्जा- 4058 करोड़ • जल संसाधन - 1415 करोड़ • खाद्य उपभोक्ता- 2121 करोड़ • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण- 1108 करोड़ • नगर विकास- 1381 करोड़ • कृषि- 2342 करोड़ • पंचायतीराज- 1032 करोड़ **(साभार : प्रभात खबर, 22.12.2015)**

कर सलाह

प्रश्न : मैं अपना मकान बेच रहा हूँ जो कि 35 लाख रुपये में बिक रहा है। इस मकान का सर्किल रेट 40 लाख रु. है। मकान का वर्तमान बाजार भाव भी 35 लाख रु. से अधिक नहीं है। रजिस्ट्री कराते समय रजिस्ट्रार 40 लाख रु. पर ही स्टांप ड्यूटी लगा रहा है। ऐसे में क्या आयकर विभाग कोई परेशानी पैदा कर सकता है।

उत्तर : कानूनन रजिस्ट्री सर्किल रेट से कम पर नहीं हो सकती। सर्किल रेट से मतलब सरकार द्वारा किसी भी संपत्ति का न्यूनतम निर्धारित मूल्य है। लेकिन आपके संदर्भ में आपका मकान 35 लाख रुपये में ही बिक रहा है कारण कि मंदी के कारण बाजार भाव कम है। ऐसे में आयकर अधिकारी आपको तंग कर सकते हैं। इससे बचने का एक उपाय है वो यह कि आप सरकार द्वारा निर्धारित रजिस्टर्ड वैल्युअर से उस मकान का मूल्यांकन करा उसकी रिपोर्ट अपने पास रख लें।

प्रश्न : मेरी एक गारमेंट्स की दुकान है। 15 नवम्बर 2015 को मैंने 30,000 रुपये का माल राम लाल एंड कंपनी से खरीदा था। इसका पूरा भुगतान माल की खरीद के समय ही कर दिया जिसमें 15000 रुपये का अकाउंट पेई चेक और 15,000 रुपये नकद में। क्या इस नकद भुगतान पर आयकर विभाग को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो सकती है।

उत्तर : आयकर की धारा 40ए (3) (बी) के अनुसार यदि नकद में भुगतान की रकम 20,000 रुपये से अधिक की नहीं है तो धारा 40ए (3)(बी) के प्रावधान लागू नहीं होते। आपने आंशिक भुगतान नकद में और आंशिक चेक से किया है। यदि नकद में किए गए भुगतान की राशि 20,000 रुपये से अधिक की होती है तो यह संपूर्ण राशि भुगतान वाले साल में आपकी कर योग्य आय मानी जाती।

प्रश्न : मैं व्यापारी हूँ और जनकपुरी में किराये के मकान में रहता हूँ जिसका मासिक किराया 15,400 रुपये है। जनकपुरी में ही हमारा एक मकान हिन्दु अविभाजित परिवार के नाम से है जिसका कर्ता मैं स्वयं हूँ। यह मकान काफी समय से खाली ही पड़ा है। क्या मैं किराये के मकान पर कोई कर छूट प्राप्त कर सकता हूँ।

उत्तर : आयकर की धारा 80 जीजी के तहत चुकाए गए किराये पर छूट प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि आपके पास जनकपुरी में ही दूसरा मकान हिन्दू अविभाजित परिवार के नाम से है। धारा 80 जी जी के तहत यदि आपके पास, आपके जीवनसाथी के पास या अवयस्क पुत्र या आप एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं तो उसके पास जिन स्थान पर आप रह रहे हैं अन्य कोई निवास है तो धारा 80 जीजी के तहत किराये पर आयकर की छूट प्राप्त नहीं होगी। **(हिन्दुस्तान, 7.12.2015)**

प्रश्न : निर्माणधीन संपत्ति पर कर की बचत कैसे कर सकते हैं?

उत्तर : अगर आप संपत्ति को बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो यह आपके लिए बेहतर होगा की मलिकाना हक पाने से पहले आप उसको बेच दें। क्योंकि अगर आप इसको नहीं बेचते हैं तो भी 3 साल तक सेक्शन 54 के तहत नहीं बेच सकते।

प्रश्न : मेरी जमीन सरकार द्वारा सड़क बनाने के लिए ले ली गई थी। मुझे ये जानकारी लेनी हैं कि क्या मुझे सरकार द्वारा पैसे जो मिल रहे हैं, उसका टैक्स भी देना होगा?

उत्तर : सरकार ने आपकी जमीन ली है और उसपर सड़क बनाई जाएगी। उस जमीन के लिए आपको कुछ मुआवजा भी मिलेगा पर अगर आपकी जमीन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आती होगी तो आपको कर नहीं देना होगा। **(दै.जा. 21.12.15)**

प्रश्न : मेरी माँ मेरी बेटी को ढाई लाख रुपये गिफ्ट दी है। क्या इस पर आयकर लगेगा?

उत्तर : इस पर आयकर देय नहीं है। किंतु इस रुपये से होने वाली आमदनी कर के दायरे में आएगी, जिसका भुगतान आपकी बेटी को करना होगा।

प्रश्न : मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। इसकी गणना होने की सूचना एसएमएस द्वारा भेजी गई है। इसमें मेरा एकाउंट नंबर गलत होने के कारण रिफंड नहीं भेजा जा सका, इसकी जानकारी दी गई है। मुझे इस संदर्भ में क्या करना चाहिए?

उत्तर : आपकी ओर से जो ऑनलाइन रिटर्न फाइल किया गया है, उसमें सुधार करने के लिए विकल्प भी उपलब्ध है। आयकर की धारा 154 के अंतर्गत इसमें सुधार किया जा सकता है। अथवा, आप आयकर विभाग के अधिकारी से संपर्क कर अपना खाता नंबर सुधार करवा सकते हैं।

प्रश्न : सुकन्या योजना के तहत किए गए निवेश पर आयकर की धारा 80 सी के तहत कितनी छूट मिलती है। क्या इसके अलावा भी इस योजना में कोई अन्य आयकर छूट मिलती है?

उत्तर : सुकन्या योजना में निवेश पर आयकर की धारा 80 सी के अंतर्गत ही छूट मिलती है। इसकी सीमा डेढ़ लाख रुपये है। इसके अलावा अन्य कोई लाभ नहीं मिलता है।

प्रश्न : पत्नी को तीन लाख रुपये का गिफ्ट दिया हूँ। क्या इस पर मझे आयकर छूट मिलेगी?

उत्तर : इस राशि पर आपको कोई आयकर छूट नहीं मिलेगी। आयकर का प्रावधान आपकी आमदनी पर होता है। इसका गिफ्ट से कोई सरोकर नहीं होता। आप अपना इनकम टैक्स जमा करने के उपरांत उस राशि का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु अगर गिफ्ट प्राप्त करने वाला आयकर के दायरे में आता है तो उसे गिफ्ट से होने वाली आमदनी पर आयकर देना होगा।

प्रश्न : नेशनल हाईवे बनाने के लिए सरकार की ओर से मेरी जमीन का अधिग्रहण किया गया। हर्जाना के रूप में मुझे दस लाख रुपये मिले। क्या इस राशि पर आयकर लगेगा?

उत्तर : जमीन के एवज में सरकार की ओर से मिली हर्जाना की राशि आयकर के दायरे में नहीं आती है। आयकर की धारा 10 (37) के तहत यह प्रावधान है। **(साभार : दैनिक जागरण, 17.12.2015)**

प्रश्न : मुझे कृषि से प्रति माह दस हजार रुपये की आय होती है। क्या मुझे इस आमदनी पर आयकर देना होगा। कृषि से आय पर छुट की सीमा क्या है?

उत्तर : आपको आयकर नहीं देना होगा। कृषि से आय पर छूट की कोई सीमा नहीं है।

प्रश्न : सरकार की ओर से मेरी जमीन का अधिग्रहण किया गया। कुल पैसे में से 20 फीसदी की राशि कटौती कर मुझे भुगतान किया गया। बताया गया कि पैनकार्ड दाखिल नहीं करने की वजह से यह कटौती की गई है? क्या यह जायज है?

उत्तर : आप पैनकार्ड बनवा लीजिए। इसके बाद कटौती की गई राशि के संबंध में अपने कागजात दुरुस्त कराएं। फिर आयकर रिटर्न दाखिल करिए। कटा हुआ पैसा मिल जाएगा।

प्रश्न : आरा में मेरी दुकान है। इससे प्रतिमाह 20 हजार रुपये की आमदनी होती है। क्या मुझे आयकर देना होगा?

उत्तर : नहीं, आपको आयकर नहीं देना होगा क्योंकि आपकी सालाना आय ढाई लाख रुपये से कम है। नियमानसार ढाई लाख रुपये से अधिक आमदनी करने वालों को ही आयकर देना होता है।

प्रश्न : मेरे बड़े भाई विजय सिंह अपनी पुश्तैनी जमीन बेचे हैं। यह पहले कृषि योग्य भूमि थी लेकिन अब आवासीय है, और नगर निगम के दायरे में भी आ गई है। आयकर विभाग की ओर से पत्र आया है कि आप अपना स्टिर्न दाखिल करें। मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर : चूंकि आपने आवासीय जमीन की बिक्री की है इसलिए इससे प्राप्त लाभ (पूंजीगत लाभ) पर आयकर देना होगा। अत: उचित होगा कि आप अपना रिटर्न दाखिल करें। **(साभार : दैनिक जागरण, 19.12.2015)**

PT.GPO/R-10/NP-15/2014-2016 R. N. 4211/62

बुलेट फायर टेक्नोलॉजी बिहार में शीघ्र

बिहार गृह रक्षा वाहिनी का 69वाँ स्थापना दिवस समारोह पटना के गाँधी मैदान में दिनांक 6 दिसम्बर 2015 को भव्य रूप सें मनाया गया। इस समारोह में चैम्बर की ओर से महामंत्री श्री शशि मोहन सम्मिलित हुए।

स्थापना दिवस समारोह में गृह रक्षा वाहिनी के महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा श्री पी० एन० राय के साथ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के महामंत्री श्री शशि मोहन।

इस अवसर पर काफी संख्या में बिहार सरकार के उच्च प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए। होमगार्ड के जवानों का शानदार मार्च पास्ट हुआ। जिसकी सलामी डीजीपी, बिहार श्री पी० के० ठाकुर ने ली। इस अवसर पर होमगार्ड के जवानों द्वारा मॉक ड्रील, डम्बल ड्रील और पीटी ड्रील काफी शानदार एवं सराहनीय रहा।

मॉक ड्रील में सड़क दुर्घटना, हंगामा और आग लगने के दौरान होमगार्ड के जवान कैसे काम करेंगे, यह देखने को मिला। सड़क दुर्घटना में घायलों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाने, होने वाले हंगामें, सड़क जाम, आगजनी इत्यादि को कैसे नियंत्रित करना है, इसका होमगार्ड के जवानों ने पूर्ण चित्रण किया।

इस दौरान अग्नि शमन विभाग की ''मिस्ड फायर टेक्नोलॉजी'' व ''बुलेट फायर टेक्नोलॉजी'' का भी प्रदर्शन किया गया जिसके तहत अग्नि शमन विभाग का मात्र एक जवान बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार रहता है और समस्त उपकरणों से लैस रहता है। पतली से पतली गली-मुहल्लों में आग लगने पर जाम रहने के बावजुद भी पहुँच कर आग पर काबू पाता है। फिलहाल छोटी गाड़ियों के माध्यम से मिस्ड फायर टेक्नोलॉजी का विभाग में समावेश हो चुका है।

समारोह में गृह रक्षा वाहिनी के महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा श्री पी० एन० राय ने अपने सम्बोधन में बताया कि दो पहिया वाहन एवं छोटी गाड़ियों का सभी आधुनिक उपकरणों के साथ अग्निशमन दल में शामिल करना माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का Dream Project है। इससे पतली गली-मुहल्लों में पहुँचकर आग पर काबू पाने में काफी मदद मिलेगी।

हार्दिक बधाई

चैम्बर के सदस्य श्री प्रदीप जैन को लंदन के मोंटे कार्लो में आयोजित डाक प्रदर्शनी "मोनाको-फिल-2015" में फेलो ऑफ रॉयल फिलाटैलिक सोसाइटी, लंदन की तरफ से फिलाटैलिक क्षेत्र में मिलने वाली सर्वोच्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इंगलैंड की महारानी ने श्री जैन को उक्त सम्मान से सम्मानित किया।

02 दिसम्बर, 2015 से 05 दिसम्बर, 2015 तक आयोजित इस तीन दिवसीय डाक प्रदर्शनी में सिर्फ श्री प्रदीप जैन ही आमंत्रित थे। वहाँ उनके दुर्लभ टिकटों के संग्रह की प्रदर्शनी भी लगाई गयी थी। पहली बार देश के किसी फिलाटैलिस्ट को यह अवार्ड मिला है। चैम्बर की तरु से श्री जैन को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

नए साल में कंपनी कानून में हो सकते हैं कुछ और बदलाव

नए साल में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय 'कारोबार सुगमता' के मामले में देश की रैंकिंग सुधारने के लिए भारी भरकम कंपनी कानून में कुछ और बदलाव कर सकता है। इसके साथ ही मंत्रालय कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) खर्च के मानदंडों में और स्पष्टता लाने की भी तैयारी कर रहा है।

कंपनी कानून 2013 में इस साल भी कई बदलाव किए गए। इसके बावजूद उद्योग जगत इसको लेकर कुछ असंतुष्ट लगता है। उद्योग जगत चाहता है कि यहाँ कारोबार करना आसान बनाने के लिए इसमें कुछ और बदलाव किए जाएं। नया कंपनी कानून वर्ष 2013 में लाया गया और इसने 60 साल पुराने कानून की जगह ली है। मंत्रालय ने नए साल में योजना बनाई है कि नई कंपनी शुरू करने में लगने वाला समय कम कर एक-दो दिन होना चाहिए। मौजूदा कैलेंडर वर्ष 2015 में यह समय पहले ही आधा कर चार-पाँच दिन कर दिया गया है जबकि इससे पहले नई कंपनी शुरू करने में 9-10 दिन का समय लगता था। विश्व बैंक के कारोबार सुगमता के ताजा आंकड़े के मुताबिक भारत में नई कंपनी अथवा कारोबार शुरू करने में 29 दिन का समय लगता है जो काफी अधिक है। भारत में इतना समय किसी व्यवसाय को कानूनी रूप से शुरू करने और उसके लिए प्रक्रिया पूरी करने में लगता है।

कारोबार सुगमता के मामले में भारत इस समय 155वें स्थान पर है। पिछले साल यह 164वें स्थान पर था। कारोबार सुगमता के मामले में भारत की सकल स्थिति में चार पायदान का सुधार हुआ है और यह आगे बढ़कर 130 वें स्थान पर आ गया। मोदी सरकार ने इस मामले में शीर्ष 50 में अपना स्थान बनाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, अल्पमत वाले शेयरधारकों को बचाने के मामले में भारत का स्थान कहीं ऊपर 8वें नंबर पर है। इसका श्रेय काफी कुछ नए कंपनी कानून को जाता है। बहरहाल नए कंपनी कानून के मामले में 'राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण' का गठन अभी तक असका अधूरा एजेंडा ही रहा है।

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय का एक और अधूरा एजेंडा जो रह गया है वह है संकट से जूझ रहे नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल)का उसकी प्रवर्तक कंपनी एफटीआईएल में विलय के उसके आदेश पर अमल होना। मंत्रालय ने विलय के संबंध में मसौदा आदेश जारी किया जिसे बाद में बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 22.12.2015)**

माननीय सदस्यों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ
– शशि मोहन, महामंत्री

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph. : 2667296